नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 096
दि. 07.01.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

किफायती घर से लेकर स्वच्छ हवा तक, मुंबई को फिर से रहने लायक बनाने का दावा — कांग्रेस ने जारी किया बीएमसी चुनाव का घोषणापत्र

(जीएनएस)। मुंबई। मुंबई महानगरपालिका चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के संयुक्त घोषणापत्र के बाद अब कांग्रेस ने भी अपना बहुप्रतीक्षित मेनिफेस्टो जारी कर दिया है। कांग्रेस का यह घोषणापत्र मुंबई की रोजमर्रा की जमीनी समस्याओं को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें परिवहन, पानी, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रदूषण और रोजगार जैसे मुद्दों पर बड़े और दूरगामी वादे किए गए हैं। पार्टी का कहना है कि यह घोषणापत्र केवल चुनावी दस्तावेज नहीं, बल्कि "जनता पहले" की सोच पर आधारित एक ऐसा रोडमैप है, जिसका उद्देश्य मुंबई को फिर से सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक जीवन योग्य शहर बनाना है।

कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में सबसे पहले मुंबई की स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं पर फोकस किया है। पार्टी ने शहर को कचरा-मुक्त बनाने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और वेस्ट-टू-एनर्जी जैसी परियोजनाओं को लागू करने का वादा किया है। इसके साथ ही सार्वजनिक शौचालयों की संख्या बढ़ाने और उनकी स्वच्छता को विश्वस्तरीय बनाने का संकल्प लिया गया है, ताकि खासकर झुग्गी बस्तियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझना न पड़े।

पानी की समस्या को मुंबई की सबसे पुरानी और गंभीर चुनौती बताते हुए कांग्रेस ने हर घर तक 24 घंटे स्वच्छ पेयजल आपूर्ति का वादा किया है। पार्टी का कहना है कि इसके लिए पुरानी और जर्जर पाइपलाइनों को बदला जाएगा, जल रिसाव रोकने के लिए स्मार्ट सेंसर लगाए जाएंगे और जल प्रबंधन को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाएगा, ताकि मुंबईकरों को टैंकरों पर निर्भर न रहना पड़े।

सड़कों और ट्रैफिक जाम को लेकर कांग्रेस ने दावा किया है कि उसकी सरकार बनने पर गड्ढा-मुक्त सड़कों की दिशा में ठोस काम किया जाएगा। इसके लिए आधुनिक 'जेट पैचर' तकनीक और बेहतर कंक्रीटिंग अपनाने की बात कही

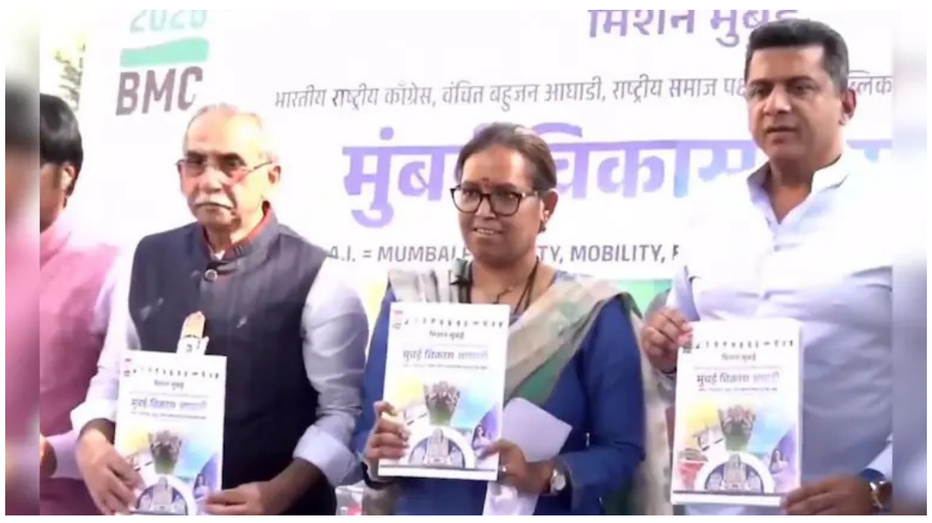

गई है। साथ ही, ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित व चौड़े फुटपाथ बनाने का भरोसा दिलाया गया है।

आवास को लेकर कांग्रेस ने झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लाखों मुंबईकरों को सम्मानजनक घर देने का वादा किया है। पुनर्विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता लाने, स्थानीय निवासियों की सहमति को अनिवार्य बनाने और मध्यम वर्ग के लिए किफायती हाउसिंग स्कीम शुरू करने की बात घोषणापत्र में प्रमुखता से शामिल है। पार्टी का दावा है कि उसका लक्ष्य केवल इमारतें खड़ी करना नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षित और स्थायी आवास देना है।

स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में कांग्रेस ने बड़ा वादा करते हुए 'यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड' लागू करने की घोषणा की है, जिससे मुंबई के नागरिकों को मुफ्त दवाइयों और बुनियादी इलाज की सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही दिल्ली मॉडल की तर्ज पर मुंबई में मोहल्ला क्लिनिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का मजबूत नेटवर्क खड़ा करने का संकल्प लिया गया है, ताकि गरीब और मध्यम वर्ग को निजी अस्पतालों के भारी खर्च से राहत मिल सके।

शिक्षा के मोर्चे पर कांग्रेस ने बीएमसी स्कूलों की गिरती साख को सुधारने का भरोसा दिलाया है। घोषणापत्र में स्कूलों को डिजिटल क्लासरूम में बदलने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और गरीब लेकिन मेधावी छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति देने का वादा किया गया है। साथ ही बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए स्कूलों में बेहतर पोषण योजनाएं लागू करने की बात भी कही गई है।

महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर कांग्रेस ने सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन, प्रमुख सड़कों पर आधुनिक शौचालय और कामकाजी महिलाओं के लिए डे-केयर सेंटर खोलने का वादा किया है। पार्टी का कहना है कि हर विधानसभा क्षेत्र में डे-केयर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि महिलाओं को काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने में मदद मिल सके। इसके अलावा महिला स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक सहायता देने की योजना भी घोषणापत्र में शामिल है।

युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम के विभिन्न विभागों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की बात कही है। साथ ही स्थानीय स्तर पर कौशल विकास केंद्र खोलने और स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण और तकनीकी सहायता देने का वादा किया गया है।

बीएमसी के कामकाज में पारदर्शिता लाने को लेकर कांग्रेस ने सभी ठेकों और निविदाओं की ऑनलाइन ट्रैकिंग, समयबद्ध ऑडिट और नागरिक शिकायतों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करने का संकल्प लिया है। पार्टी का दावा है कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और जनता को सीधे जवाबदेह प्रशासन मिलेगा।

पर्यावरण को लेकर कांग्रेस ने मुंबई की बिगड़ती हवा और घटते हरित क्षेत्र पर चिंता जताते हुए क्लीन एयर एक्शन प्लान लागू करने, मैंग्रोव, तटीय इलाकों और खुले मैदानों की सख्त सुरक्षा तथा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाने का वादा किया है। इसके साथ ही सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए बीएमसी बजट का पांच-पांच प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के कल्याण के लिए विशेष रूप से आवंटित करने की घोषणा की गई है।

कुल मिलाकर कांग्रेस का यह घोषणापत्र मुंबई की लगभग हर बुनियादी समस्या को छूता है। अब देखना यह होगा कि मतदाता इन वादों को कितनी गंभीरता से लेते हैं और बीएमसी चुनाव में इसका सियासी असर किस दिशा में जाता है।

सार्वजनिक धन की पवित्रता पर हाईकोर्ट का सख्त संदेश, भ्रष्टाचार में लिप्त हाईवे ठेकेदार पर पांच साल की पाबंदी बरकरार

(जीएनएस)। शिलांग। सार्वजनिक परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर मेघालय हाईकोर्ट ने एक बेहद अहम और दूरगामी संदेश दिया है। एक बड़े सड़क निर्माण प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में अदालत ने हाईवे ठेकेदार की पांच साल की ब्लैकलिस्टिंग को पूरी तरह जायज ठहराते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब मामला सार्वजनिक धन और जनहित से जुड़ा हो, तब सरकार द्वारा की गई सख्त कार्रवाई न केवल उचित है बल्कि आवश्यक भी है। इस फैसले को सरकारी ठेकों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ न्यायपालिका की मजबूत इच्छाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है।

मामला मेघालय की दो प्रमुख सड़क परियोजनाओं से जुड़ा है, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-44ई और नोंगस्टोइन–रोंगजेंग–तुरा सड़क के दोहरीकरण का कार्य शामिल था। वर्ष 2011 में मेघालय सरकार के लोक निर्माण विभाग (सड़क) ने यह ठेका बीएससीपीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और सी एंड सी कंस्ट्रक्शंस के संयुक्त उपक्रम को सौंपा था। प्रारंभिक तौर पर इस परियोजना की लागत करीब 1,303 करोड़ रुपये तय

की गई थी, लेकिन समय के साथ संशोधनों, अतिरिक्त कार्यों और लागत वृद्धि के कारण यह राशि बढ़ते-बढ़ते 2,400 करोड़ रुपये से भी अधिक हो गई। परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान कई तरह के विवाद सामने आए, जिसके चलते मामला अंततः मध्यस्थता तक पहुंचा।

इसी मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान एक चौंकाने वाला पहलू सामने आया। सरकार द्वारा ठेकेदार के पेश किए गए लेजर और खर्च से जुड़े दस्तावेजों की जांच में ऐसे कई खर्चों का उल्लेख मिला, जो सामान्य प्रशासनिक या परियोजना लागत से अलग थे। इन दस्तावेजों में महंगे उपहार, शराब, आलीशान मेहमाननवाजी और अन्य लाभों पर बार-बार खर्च दर्ज था। सरकार का आरोप था कि ये खर्च किसी सामान्य कारोबारी व्यवहार का हिस्सा नहीं थे, बल्कि इन्हें सरकारी अधिकारियों, इंजीनियरों और यहां तक कि विवाद समाधान बोर्ड के सदस्यों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया था। अदालत ने इन रिकॉर्ड्स को प्रथम दृष्टया गंभीर और अवैध रिश्वतखोरी की ओर इशारा करने वाला माना। इन तथ्यों के सामने आने के बाद लोक निर्माण विभाग ने सितंबर 2024 में ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। सभी पक्षों को सुनने और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद 3 दिसंबर 2024 को सरकार ने संयुक्त उपक्रम को पांच साल के लिए भविष्य के सभी सरकारी टेंडरों से बाहर कर दिया।

सरकार का कहना था कि यह कदम न केवल अनुबंध की शर्तों के अनुरूप है, बल्कि राज्य के हित और सार्वजनिक धन की सुरक्षा के लिए अनिवार्य भी है। विभाग ने यह भी बताया कि अब तक इस परियोजना के तहत ठेकेदार को 2,523 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है, जबकि 94 करोड़ रुपये मध्यस्थता आदेश के तहत दिए गए थे।

ठेकेदार ने सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका में दावा किया गया कि ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है, अत्यधिक देर से की गई है और इसका उद्देश्य चल रही मध्यस्थता प्रक्रिया को प्रभावित करना है। ठेकेदार की ओर से यह भी कहा गया कि जिन खर्चों को रिश्वत या अनुचित लाभ के रूप में बताया जा रहा है, वे व्यवसायिक व्यवहार का हिस्सा थे और उन्हें गलत संदर्भ में पेश किया गया है।

हालांकि, हाईकोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। एकल न्यायाधीश जस्टिस एच. एस. थांगख्यू ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि सरकार को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार न केवल अनुबंध की शर्तों से बल्कि राज्य के अंतर्निहित अधिकारों से भी प्राप्त होता है।

नहीं रहे सुरेश कलमाड़ी, राजनीति और खेल प्रशासन का एक दौर हुआ समाप्त

(जीएनएस)। पुणे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार तड़के निधन हो गया। 81 वर्ष की आयु में उन्होंने पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में सुबह करीब 3:30 बजे अंतिम सांस ली। उनके निधन के साथ ही देश की राजनीति और खेल प्रशासन से जुड़ा एक ऐसा अध्याय समाप्त हो गया, जिसने सफलता, विवाद, उतार-चढ़ाव और लंबे सार्वजनिक जीवन को बेहद करीब से देखा।

कलमाड़ी के निधन की खबर फैलते ही पुणे सहित महाराष्ट्र और दिल्ली के राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, भाजपा के वरिष्ठ मंत्री चंद्रकांत पाटिल, सांसद मुरलीधर मोहोल समेत विभिन्न दलों के नेता कर्वे रोड स्थित उनके आवास पर पहुंचे और अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। दोपहर में नवी पेठ स्थित वैकुंठ श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां बड़ी संख्या में राजनीतिक, सामाजिक और खेल जगत से जुड़े लोग मौजूद रहे।

सुरेश शामराव कलमाड़ी का जन्म 1 मई 1944 को हुआ था। उनका जीवन अनुशासन, नेतृत्व और महत्वाकांक्षा का मिश्रण रहा। उन्होंने 1960 में नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रवेश लिया और इसके बाद भारतीय वायुसेना में पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त किया।

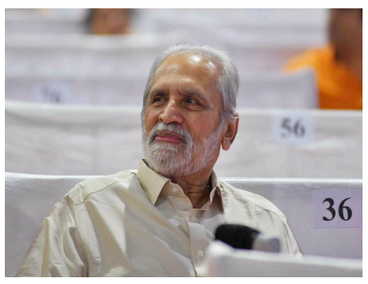

1964 से 1972 तक वे वायुसेना में सक्रिय पायलट रहे और बाद में एनडीए में प्रशिक्षण टीम के साथ प्रशिक्षक के रूप में भी सेवाएं दीं। स्क्वॉड्रन लीडर के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने राजनीति की राह चुनी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए।

राजनीति में कदम रखने के बाद कलमाड़ी ने तेजी से अपनी पहचान बनाई। वे पुणे लोकसभा सीट से तीन बार सांसद चुने गए और केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री जैसे अहम पद पर भी रहे। पुणे के विकास से उनका गहरा जुड़ाव रहा और शहर की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुणे फेस्टिवल और पुणे इंटरनेशनल मैराथन जैसी पहलों को बढ़ावा देकर उन्होंने शहर को एक नई पहचान दिलाने की कोशिश की।

राजनीति के साथ-साथ कलमाड़ी खेल प्रशासन में भी एक प्रभावशाली नाम रहे। वे भारतीय ओलिंपिक संघ के अध्यक्ष बने और 2010 में दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स की आयोजन समिति के चेयरमैन की जिम्मेदारी भी संभाली। यह आयोजन भारत के लिए वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा का अवसर था, लेकिन इसी के साथ कलमाड़ी का नाम देश के सबसे बड़े खेल घोटालों में भी जुड़ गया।

कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान अनुबंधों के आवंटन को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। मामला इतना बड़ा बना कि कलमाड़ी को अप्रैल 2011 में सीबीआई ने गिरफ्तार किया और उन्हें करीब दस महीने तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने भी उस समय उन्हें निलंबित कर दिया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने टाइमिंग, स्कोरिंग और रिजल्ट सिस्टम का ठेका स्विस कंपनी को 141 करोड़ रुपये की लागत पर देकर नियमों की अनदेखी की। यह मामला करीब 15 वर्षों तक चला और लंबे समय तक उनके सार्वजनिक जीवन पर एक काली छाया बना रहा।

हालांकि अप्रैल 2025 में दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कलमाड़ी और अन्य आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने की बात कही गई थी। इसके बावजूद कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला उनकी पहचान से जीवनभर जुड़ा रहा और उनके राजनीतिक कद को गहरा नुकसान पहुंचा।

कलमाड़ी के निधन पर एनसीपी (शरद पवार गुट) के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि देश ने एक ऐसे अनुभवी नेता को खो दिया है, जिसने संघर्षों से अपना स्थान बनाया और सार्वजनिक जीवन में एक लंबी विरासत छोड़ी। उन्होंने कहा कि दशकों तक सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सक्रिय रहकर कलमाड़ी ने अपनी अलग पहचान बनाई, जिसे सम्मान के साथ याद किया जाएगा। वहीं उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि पुणे के विकास में कलमाड़ी की भूमिका अहम रही और उनके निधन से शहर के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में एक खालीपन आ गया है।

सुरेश कलमाड़ी का जीवन उपलब्धियों और विवादों के बीच झूलता रहा, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में एक लंबा और प्रभावशाली सफर तय किया। सेना से लेकर संसद तक, खेल प्रशासन से लेकर शहरी विकास तक, उनका नाम कई अहम अध्यायों से जुड़ा रहा। उनके जाने के साथ ही एक ऐसा चेहरा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, जिसने अपने समय की राजनीति और खेल जगत पर गहरी छाप छोड़ी।

हादी हत्याकांड में राजनीति की काली साजिश उजागर, बांग्लादेश पुलिस ने अवामी लीग पर ठहराया जिम्मेदार

(जीएनएस)। ढाका/नई दिल्ली। बांग्लादेश के छात्र राजनीति जगत को झकझोर देने वाले शरीफ उस्मान हादी हत्याकांड में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इसके पीछे की गहरी राजनीतिक साजिश की परतें खुलती जा रही हैं। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्या को सीधे तौर पर सुनियोजित राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार देते हुए बड़ा दावा किया है कि यह वारदात प्रतिबंधित अवामी लीग के इशारे पर अंजाम दी गई। पुलिस ने इस मामले में मंगलवार को 17 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक चार्जशीट दाखिल कर दी, जिससे बांग्लादेश की राजनीति और कानून-व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या कोई अचानक हुआ अपराध नहीं थी, बल्कि इसके पीछे लंबी प्लानिंग और संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। हादी बीते कुछ समय से सार्वजनिक मंचों, सभाओं और सोशल मीडिया के जरिए अवामी लीग और उसकी छात्र इकाई 'छात्र लीग' की खुलकर आलोचना कर रहे थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक, यही आलोचना उनकी हत्या की मुख्य वजह बनी। हादी के बयान और भाषण लगातार वायरल हो रहे थे, जिससे राजनीतिक हलकों में असहजता बढ़ रही थी और अंततः उन्हें रास्ते से हटाने का फैसला किया गया।

डिटेक्टिव ब्रांच के अतिरिक्त आयुक्त मोहम्मद शफीकुल इस्लाम ने मीडिया को बताया कि चार्जशीट में हत्या से जुड़े सभी अहम किरदारों की भूमिका स्पष्ट रूप से दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, मुख्य शूटर फैसल करीम मसूद का सीधा संबंध छात्र लीग से रहा है और वह लंबे समय से संगठन से जुड़ा हुआ था। जांच में यह भी सामने आया है कि हत्या के बाद आरोपियों को सुरक्षित निकालने और कानून की पकड़ से दूर रखने में राजनीतिक संरक्षण का इस्तेमाल किया गया। पल्लबी थाना क्षेत्र के छात्र लीग अध्यक्ष और पूर्व वार्ड पार्षद तैजुल इस्लाम चौधरी बप्पी पर इस पूरे नेटवर्क को शरण देने और शूटरों को फरार कराने में अहम भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया है।

चार्जशीट में यह भी उल्लेख है कि हत्या से पहले हादी की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी और उनकी दिनचर्या, आवाजाही और सार्वजनिक कार्यक्रमों की जानकारी इकट्ठा की गई थी। पुलिस का कहना है कि यह एक प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दी गई हत्या थी, जिसमें राजनीतिक आकाओं के इशारे पर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल किया गया। अब तक इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। इस हत्याकांड ने बांग्लादेश में छात्र राजनीति की हिंसक परंपरा पर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। विपक्षी दलों और मानवाधिकार संगठनों ने इस घटना को लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय की मांग की है। उनका कहना है कि अगर किसी छात्र नेता को केवल इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वह सत्ताधारी दल की आलोचना करता है, तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र दोनों के लिए खतरनाक संकेत है।

वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, सीएक्यूएम को कर्तव्य निभाने में नाकामी पर कड़ी फटकार

(जीएनएस)। नई दिल्ली। दिल्ली–एनसीआर में लगातार गंभीर होती वायु गुणवत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बेहद सख्त रुख अपनाया। शीर्ष अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सीएक्यूएम को उसके दायित्वों के निर्वहन में असफल रहने पर कड़ी फटकार लगाई और साफ शब्दों में कहा कि आयोग अब तक प्रदूषण से निपटने के लिए ठोस और दीर्घकालिक समाधान देने में नाकाम रहा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि केवल समय मांगने या अस्थायी सुझाव देने से समस्या का समाधान नहीं होगा और अब आयोग को चरणबद्ध तरीके से गंभीर और स्थायी उपायों पर काम करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली–एनसीआर के बढ़ते वायु प्रदूषण से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सीएक्यूएम की भूमिका पर सवाल उठे। सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से दिल्ली की सीमाओं पर स्थित टोल प्लाजा को हटाने या अस्थायी रूप से बंद करने के मुद्दे पर विचार के लिए दो महीने का समय मांगा गया। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह कोई नया विषय नहीं है और आयोग को इस पर अब तक ठोस निर्णय पर पहुंच जाना चाहिए था। अदालत ने आयोग की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि यह रवैया दर्शाता है कि सीएक्यूएम अपने कर्तव्यों को निभाने में विफल रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि दिल्ली–एनसीआर में प्रदूषण एक मौसमी या अस्थायी समस्या नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही एक गंभीर चुनौती है, जिसका समाधान केवल तात्कालिक कदमों से संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम को निर्देश दिया कि वह किसी भी प्रकार के दबाव या विभिन्न हितधारकों के रुख से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से निर्णय ले और टोल प्लाजा समेत अन्य प्रमुख मुद्दों पर ठोस नीति बनाए। अदालत ने कहा कि आयोग का दायित्व केवल सिफारिशें देना नहीं, बल्कि जमीन पर असर दिखाने वाले समाधान प्रस्तुत करना है।

सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर अब तक प्रदूषण के मूल कारणों की स्पष्ट पहचान क्यों नहीं की जा सकी है। मुख्य न्यायाधीश ने सख्त लहजे में कहा कि इन दिनों वायु प्रदूषण को लेकर सार्वजनिक डोमेन में बड़ी मात्रा में सामग्री उपलब्ध है। विशेषज्ञ लगातार लेख लिख रहे हैं, वैज्ञानिक अध्ययन सामने आ रहे हैं और आम लोग भी अपनी राय अदालत को ईमेल के जरिए भेज रहे हैं। ऐसे में यह समझ से परे है कि आयोग अब तक यह तय क्यों नहीं कर पाया कि प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं और उन्हें नियंत्रित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर क्या कदम उठाए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर प्रदूषण विशेषज्ञों की एक अहम बैठक बुलाए। इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर यह तय किया जाए कि दिल्ली–एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन से हैं, उनकी तीव्रता कितनी है और किस कारण से हालात हर साल और गंभीर होते जा रहे हैं। अदालत ने आयोग को यह भी आदेश दिया कि वह इस बैठक के निष्कर्षों के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट के समक्ष पेश करे, जिसमें अल्पकालिक के साथ-साथ दीर्घकालिक समाधान भी स्पष्ट रूप से बताए गए हों।

अदालत ने यह भी संकेत दिया कि यदि भविष्य में आयोग की ओर से गंभीरता और ठोस कार्रवाई नहीं दिखाई दी, तो न्यायालय और कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा।

संपादकीय

संकल्पों के बोझ तले कराहता नया साल

पुराने जीवन से नाराज़ होकर भविष्य के साथ एकतरफा समझौता कर लेते हैं। बीती रात तक जो आदतें हमारी पहचान थीं, वही आदतें सुबह होते-होते हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। सिगरेट को हम ऐसे देखते हैं जैसे वह किसी सीमा पार से आई घुसपैठिया हो, जिम का कार्ड ऐसे खरीदा जाता है जैसे वही देश की अर्थव्यवस्था को संभाल लेगा और खाने की थाली पर अनुशासन ऐसे थोपा जाता है मानो यह कोई राष्ट्रीय आपातकाल हो। नया साल एक तारीख नहीं रह जाता, वह एक उम्मीद बन जाता है और उम्मीद भी ऐसी, जिसके कंधों पर हमने अपनी सारी नाकामियां, सारी इच्छाएं और सारे अधूरे सपने लाद दिए होते हैं।

हर साल यही होता है। हम सोचते हैं कि कल से सब कुछ बदल जाएगा। कल से हम बदल जाएंगे, हमारे रिश्ते सुधर जाएंगे, हमारी जेबें भारी हो जाएंगी और हमारी कमर पतली। ऐसा लगता है जैसे समय कोई स्विच हो, जिसे दबाते ही जीवन की सारी खराब लाइटें बुझ जाएंगी और नई चमचमाती ट्यूबलाइटें जल उठेंगी। लेकिन समय स्विच नहीं है, वह तो एक लंबी सड़क है, जिस पर हम रोज़ उसी चाल से चलते हैं, उन्हीं आदतों के साथ। तारीख बदल जाती है, कैलेंडर बदल जाता है, पर हम नहीं बदलते। फिर भी हर साल हम नए साल से वही उम्मीदें रखते हैं, जैसे उसने पिछली बार हमें धोखा नहीं दिया हो।

असलियत यह है कि दुनिया एक रात में नहीं बदलती। अगर बदलती होती तो अखबारों के पहले पन्ने हर साल एक जैसे न होते। सीमाओं पर वही तनाव, संसदों में वही शोर, गलियों में वही गड्ढे और दफ्तरों में वही फाइलें पड़ी होती हैं। पाकिस्तान जैसा दुष्ट देश एक रात में संत कैसे बन सकता है। अमेरिका में बैठा ट्रंप अपने लालच और सत्ता की भूख को तकिये के नीचे रखकर सुबह गांधी बनकर कैसे उठ सकता है। सत्ता, स्वार्थ और हिंसा की आदतें भी हमारी आदतों जैसी ही होती हैं, जिन्हें एक तारीख बदलने से छोड़ा नहीं जा सकता। दुनिया वही रहती है, बस बहाने नए हो जाते हैं। नया साल आते ही उम्मीदों का जो जुलूस निकलता है, वह देखने लायक होता है। सोशल मीडिया पर मुस्कुराते चेहरे, प्रेरणादायक वाक्य और नए लक्ष्य ऐसे उड़ते हैं जैसे पतंगें। हर कोई दूसरे को समझा रहा होता है कि इस बार सब अलग होगा। लेकिन इन सबके पीछे एक चुप्पी भी होती है, जिसमें डर छिपा होता है। डर इस बात का कि अगर इस बार भी कुछ नहीं बदला तो क्या होगा। इसलिए हम उम्मीदों का बोझ इतना बढ़ा देते हैं कि नया साल आते ही हांफने लगता है। लगता है जैसे वह कह रहा हो, भाई थोड़ा हल्का रखो, मैं भी इंसान ही हूं। संकल्प एक तरह की मानसिक शॉर्टकट होते हैं। हमें मेहनत की लंबी सड़क पर चलने से डर लगता है, इसलिए हम संकल्प की लिफ्ट लेना चाहते हैं। सोचते हैं कि एक वाक्य बोलते ही सब कुछ अपने आप हो जाएगा। लेकिन जीवन में कोई लिफ्ट नहीं है, सीढ़ियां ही हैं और वे भी कई बार टूटी हुई। जिम का संकल्प लेना आसान है, सुबह छह बजे अलार्म की आवाज़ पर उठना मुश्किल। सिगरेट छोड़ने की घोषणा करना आसान है, चाय के साथ खाली हाथ बैठना मुश्किल। अनुशासन की बातें करना आसान है, थाली में आधी रोटी छोड़ना मुश्किल। हम हर साल यही गलती करते हैं कि नए साल को जादूगर समझ लेते हैं। जैसे उसके पास कोई छड़ी हो, जिसे घुमाते ही वह हमें नया बना देगा। जबकि नया साल तो बस एक आईना होता है, जिसमें वही चेहरा दिखता है, जो हम रोज़ देखते आए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उस आईने पर हमने उम्मीदों का फ्रेम लगा दिया होता है। जब कुछ महीने बाद वही चेहरा वही आदतों के साथ दिखता है, तो हम आईने को दोष देते हैं। कहते हैं, यह साल ही खराब है।

अगर नए साल के संकल्पों से बिजली बनाई जा सकती, तो यह देश ऊर्जा संकट से कब का मुक्त हो चुका होता। हर साल करोड़ों संकल्प लिए जाते हैं और उनमें इतनी ऊर्जा होती है कि उससे शहर रोशन हो सकते हैं। लेकिन यह ऊर्जा कागज पर ही चमकती है। अगर इन संकल्पों से पहाड़ बनते, तो इतना ऊंचा पहाड़ खड़ा होता कि एवरेस्ट भी झुककर सलाम करता। लेकिन यह पहाड़ हवा के होते हैं, जो पहली ही असफलता की आंधी में बिखर जाते हैं।

सच यह है कि बदलाव न तो नए साल से डरता है और न पुराने से शर्माता है। बदलाव रोज़ के छोटे फैसलों से आता है, जिनका कोई जश्न नहीं होता। वह उस दिन आता है जब हम बिना किसी घोषणा के एक सिगरेट कम पीते हैं, एक किलोमीटर ज्यादा चलते हैं या एक झूठ कम बोलते हैं। वह किसी कैलेंडर की तारीख का मोहताज नहीं होता। वह धीरे-धीरे आता है, जैसे सुबह की रोशनी, जो बिना शोर किए अंधेरे को हटा देती है।

नया साल अगर हमें कुछ सिखा सकता है, तो बस इतना कि उम्मीद रखना गलत नहीं है, लेकिन उम्मीदों का बोझ डालना गलत है। साल से ज्यादा जिम्मेदारी हमारी होती है। हम अगर खुद से थोड़ा सच बोल लें, तो शायद हर साल नया बनने की जरूरत ही न पड़े। तब नया साल एक राहत बन सकता है, एक साथी बन सकता है, न कि उम्मीदों के बोझ तले दबा हुआ एक और कैलेंडर पन्ना।

कार्तिगई दीपम विवाद पर मद्रास हाईकोर्ट का फैसला सनातन विरोधियों की करारी हार है

> इस मामले में राज्य सरकार ने दलील दी थी कि दीपम जलाने से सामाजिक तनाव और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। कोर्ट ने इस तर्क को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि प्रशासन का दायित्व भय पैदा करना नहीं बल्कि निष्पक्ष और साहसिक ढंग से कानून व्यवस्था बनाए रखना है।

मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी के दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति को बरकरार रखा है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह परंपरा सदियों पुरानी है और इसे रोकने का कोई संवैधानिक या कानूनी आधार नहीं है। अदालत ने साथ ही राज्य सरकार द्वारा कानून व्यवस्था के नाम पर लगाए गए प्रतिबंधों को निराधार और कल्पनाजन्य करार दिया। न्यायालय ने कहा कि जिस स्थान पर दीपम जलाया जाता है वह मंदिर से जुड़ी पारंपरिक धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा रहा है। केवल आशंका के आधार पर किसी धार्मिक परंपरा को रोका नहीं जा सकता। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि धार्मिक स्वतंत्रता केवल निजी पूजा तक सीमित नहीं है बल्कि सामूहिक और सार्वजनिक धार्मिक अभिव्यक्तियां भी इसके अंतर्गत आती हैं।हम आपको बता दें कि इस मामले में राज्य सरकार ने दलील दी थी कि दीपम जलाने से सामाजिक तनाव और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। कोर्ट ने इस तर्क को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि प्रशासन का दायित्व भय पैदा करना नहीं बल्कि निष्पक्ष और साहसिक ढंग से कानून व्यवस्था बनाए रखना है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि हर परंपरा को संभावित विवाद के नाम पर रोक दिया जाए तो संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता केवल कागज पर रह जाएगी।

हम आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क रखा गया था कि कार्तिगई दीपम केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। इसे रोकने का प्रयास समाज में अनावश्यक विभाजन और असंतोष को जन्म देता है। कोर्ट ने इस तर्क से सहमति जताई और आदेश दिया कि परंपरागत रीति से दीपम जलाने की अनुमति दी जाए।

देखा जाये तो मद्रास हाईकोर्ट का यह निर्णय उस मानसिकता पर करारा प्रहार है जो हर हिंदू परंपरा को कानून व्यवस्था के नाम पर कटघरे में खड़ा करने की आदी हो चुकी है। आज सवाल यह नहीं है कि दीपम जलेगा या नहीं। सवाल यह है कि क्या बहुसंख्यक समाज की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को हर बार डर और शक के चश्मे से देखा जाएगा? तमिलनाडु की द्रमुक सरकार का तर्क कि दीपम जलाने से अशांति फैल सकती है, दरअसल प्रशासनिक असफलता को छिपाने का तरीका है। अगर हर धार्मिक आयोजन से पहले सरकार को डर लगने लगे तो फिर शासन चलाने का नैतिक अधिकार किस बात का रह जाता है? अदालत ने ठीक ही कहा कि कल्पित भय के आधार पर मौलिक अधिकारों को कुचला नहीं जा सकता। देखा जाये तो यह मामला उस व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है जहां हिंदू धार्मिक परंपराओं को बार बार रोकने और सीमित करने का प्रयास किया जाता है। कभी शोर का बहाना बनाया जाता है, कभी पर्यावरण का तो कभी कानून व्यवस्था का। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यही तर्क अन्य समुदायों के मामलों में अचानक गायब हो जाते हैं। यह दोहरा मापदंड समाज में असंतोष और अविश्वास को जन्म देता है।

कार्तिगई दीपम का सामाजिक महत्व केवल आस्था तक सीमित नहीं है। यह पर्व सामूहिकता का प्रतीक है। पहाड़ी पर जलता दीप दूर दूर तक दिखाई देता है और समाज को जोड़ने का काम करता है। जब ऐसी परंपराओं को रोका जाता है तो संदेश जाता है कि बहुसंख्यक समाज की भावनाएं गौण हैं। यही भावना धीरे धीरे आक्रोश में बदलती है और फिर वही आक्रोश सामाजिक तनाव का रूप ले लेता है।

इस फैसले का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव यह है कि लोगों का यह विश्वास और प्रबल हुआ है कि न्यायपालिका संविधान की आत्मा को समझती है। अदालत के आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि राज्य केवल एक धर्म के प्रति कठोर हो जाए और बाकी के प्रति नरम। सच्ची धर्मनिरपेक्षता सभी परंपराओं के साथ समान व्यवहार की मांग करती है। यह निर्णय प्रशासन के लिए भी चेतावनी है। उसे समझना होगा कि परंपराओं को दबाने से शांति नहीं आती बल्कि असंतोष भीतर ही भीतर सुलगता रहता है।

बहरहाल, अगर आज अदालत ने दीपम जलाने के अधिकार की रक्षा नहीं की होती तो कल कोई और परंपरा इसी तरह प्रतिबंधों की भेंट चढ़ जाती। वैसे यह फैसला केवल एक धार्मिक जीत नहीं है। यह सांस्कृतिक आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना है। यह संदेश है कि डर के नाम पर अधिकार छीने नहीं जा सकते। यह आदेश यह भी संदेश देता है कि अगर समाज चुप रहा तो उसकी परंपराएं एक एक कर खत्म कर दी जाएंगी। दीप तो अब जल जायेगा लेकिन समाज की चेतना की लौ भी जलती रहनी चाहिए क्योंकि संभव है राह में रोड़े अटकाने वाले दूसरा प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार बैठे हों।

प्रेरणा

जहाँ हिंसा का उत्तर संयम बना और अहंकार के आगे झुक गई आस्था

काशी की पवित्र धरती पर उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ था, न आकाश से कोई संदेश उतरा था, न ही किसी ने तलवार उठाई थी। फिर भी जो हुआ, वह किसी युद्ध में मिली जीत से कम नहीं था। संत रैदास अपने अनुयायियों के बीच बैठे हुए थे। उनकी वाणी में हमेशा की तरह सरलता थी, अनुभव की गहराई थी और मनुष्य को जोड़ने की ताकत थी। वे जीवन को बेहतर बनाने की बात कर रहे थे, समाज में व्याप्त भेदभाव और अहंकार से ऊपर उठने का संदेश दे रहे थे। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी कोई व्यक्ति शांति और विवेक की बात करता है, कुछ लोगों को वही सबसे ज्यादा अखरती है।

भीड़ में मौजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने पहले ताने कसे, फिर शब्दों की मर्यादा तोड़ी और धीरे-धीरे बात धक्का-मुक्की तक पहुंच गई। उनका उद्देश्य सिर्फ संत रैदास को अपमानित करना नहीं था, बल्कि उनके विचारों को चुनौती देना था। यह दृश्य देखकर रैदास के अनुयायियों का धैर्य टूटने लगा। जिन आंखों में श्रद्धा थी, उनमें क्रोध उतर आया। भक्तों को लगा कि यदि वे चुप रहे तो यह कायरता होगी। वे आगे बढ़े, जैसे किसी युद्ध के लिए तैयार हों।

उसी क्षण संत रैदास ने दुखी होकर कहा, 'मारो-मारो, पर इन्हें नहीं।' यह वाक्य सुनते ही सब जैसे जड़ हो गए। यह कैसी आज्ञा थी, जिसमें मारने की बात भी थी और न मारने की भी। भक्तों को समझ नहीं आया। उनके भीतर का क्रोध उन्हें आगे बढ़ने को कह रहा था, लेकिन गुरु की वाणी ने उनके कदम रोक दिए। उन्होंने प्रश्न किया कि गुरुदेव, आपका आशय क्या है।

तब रैदास ने अत्यंत सहज भाव से कहा कि अगर मारना ही है तो अपने गुस्से को मारो, अपने अहंकार को मारो। उस व्यवस्था को मारो, जो मनुष्य को मनुष्य का शत्रु बनाती है। ये लोग नादान हैं और अपने अहंकार के वशीभूत हैं। यदि तुम भी इन्हीं की तरह व्यवहार करोगे, तो तुममें और इनमें क्या अंतर रह जाएगा। फिर मेरी शिक्षा का क्या अर्थ बचेगा। यह कहते समय रैदास की आवाज़ में न क्रोध था, न घृणा, बल्कि करुणा थी।

यह प्रसंग केवल उस क्षण का नहीं था, यह मनुष्य की आंतरिक यात्रा का प्रतीक था। क्रोध मनुष्य का सबसे पुराना साथी है। अपमान होते ही वह जाग उठता है और हमें त्वरित समाधान का भ्रम देता है। वह कहता है कि सामने वाले को सबक सिखाओ, ताकत दिखाओ। लेकिन यह ताकत अक्सर कमजोरी का दूसरा नाम होती है। रैदास ने अपने अनुयायियों को बताया कि सच्ची शक्ति संयम में है, प्रतिक्रिया न देने की क्षमता में है।

भक्तों ने जैसे ही इस बात को समझा, उनका क्रोध शांत होने लगा। वे चुपचाप अपनी जगह बैठ गए। उनके चेहरों पर अब आक्रोश नहीं, आत्ममंथन था। उन्हें एहसास हुआ कि वे भी पल भर के लिए उसी अंधे रास्ते पर चल पड़े थे, जिस पर वे दूसरों को दोष दे रहे थे। यह दृश्य देखकर उपद्रवी भी असहज हो गए। उन्हें शायद पहली बार यह महसूस हुआ कि सामने खड़ा व्यक्ति उनसे डर नहीं रहा, बल्कि उन्हें समझ रहा है। बिना किसी हिंसा के, बिना किसी अपमान के, वे वहां से लौट गए।

इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि हिंसा का सबसे बड़ा विरोध हथियार नहीं, बल्कि विवेक है। जब हम क्रोध में प्रतिक्रिया देते हैं, तो हम समस्या को नहीं, बल्कि अपने अहंकार को संतुष्ट करते हैं। लेकिन जब हम संयम रखते हैं, तो समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। रैदास जानते थे कि यदि उस दिन उनके भक्त हिंसा पर उतर आते, तो कुछ पल का संतोष जरूर मिलता, लेकिन उनके संदेश की आत्मा मर जाती।

आज के समय में यह कथा और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। समाज में असहिष्णुता बढ़ रही है। छोटी-छोटी बातों पर लोग टूट पड़ते हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक क्रोध का शोर है। हर व्यक्ति अपनी बात मनवाना चाहता है, लेकिन किसी की बात सुनना नहीं चाहता। ऐसे समय में रैदास का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय भविष्य के लिए बोझ बन जाता है।

रैदास की शिक्षा किसी धर्म, जाति या वर्ग तक सीमित नहीं थी। वह मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार को चुनौती देती थी। उन्होंने सिखाया कि आत्मसम्मान और अहंकार में अंतर है। आत्मसम्मान शांत रहता है, अहंकार हिंसक हो जाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के क्रोध को जीत लेता है, वही वास्तव में समाज को बदलने की क्षमता रखता है।

इस प्रसंग से हमें यह भी सीख मिलती है कि गुरु की रक्षा केवल शारीरिक रूप से नहीं होती। गुरु की रक्षा उनकी शिक्षाओं को अपनाकर की जाती है। यदि भक्त उस दिन हिंसा करते, तो वे अपने गुरु की बातों का अपमान करते। रैदास ने उन्हें यह समझाया कि सच्चा अनुयायी वही है, जो कठिन समय में भी विवेक नहीं छोड़ता।

अंततः यह कथा हमें बताती है कि सबसे बड़ा मर्दन किसी बाहरी शत्रु का नहीं, बल्कि अपने भीतर पल रहे गुस्से और अहंकार का होता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को परास्त कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। संत रैदास ने बिना किसी हथियार के यह युद्ध जीता और यही जीत आज भी मानवता के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है।

अरावली की परिभाषा में निहित हो संरक्षण का लक्ष्य

अरावली पहाड़ियां कभी अरबों साल पहले टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बनी ऊंचे वलित पहाड़ों की शृंखला थी जो लाखों साल की टूट-फूट और कटाव से घिसकर ऊंची-नीची पहाड़ियों, चोटियों व चट्टानी उभारों की शृंखला बन गई हैं। ये पहाड़ियां 300 से 900 मीटर तक हैं, कई कम ऊंची भी हैं जबकि राजस्थान के माउंट आबू पठार पर गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी समुद्र तल से 1,722 मीटर ऊंचाई तक है। हाल ही में अरावली ने पर्यावरण विशेषज्ञों, समाज और मीडिया का ध्यान खींचा जब किसी पहाड़ी को अरावली का हिस्सा मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एमओइएफसीसी समिति द्वारा प्रस्तावित स्थानीय तल से 100 मीटर ऊंचाई वाली शर्त मंजूर करते हुए एक फैसला सुनाया जिससे सड़कों पर विरोध और बयानबाज़ी होने लगी।

2024 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अरावली पहाड़ों की एक समान परिभाषा बनाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत तकनीकी समिति का गठन किया गया, जिसमें समुद्र तल के बजाय स्थानीय तल आधारित राजस्थान की मौजूदा परिभाषा को शामिल किया जा सके। राजस्थान की परिभाषा पर भरोसा करते हुए, समिति ने मानदंड तैयार किए कि पहाड़ी को अरावली रेंज का हिस्सा मानने के लिए इसकी ऊंचाई आसपास के स्तर से 100 मीटर होनी चाहिए या इसे अरावली शृंखला में दो योग्य पहाड़ियों के बीच 500 मीटर दायरे में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर, 2025 को इस परिभाषा को मंजूर कर लिया, जिसका व्यापक विरोध हुआ।

सरकार ने इस परिभाषा का बचाव करते हुए इसे मात्र 'तकनीकी' स्पष्टीकरण बताया और कहा कि राजस्थान में यह 2006 से लागू है व इससे अरावली की हर जगह एक जैसी सुरक्षा करने में मदद मिलेगी, जबकि आलोचना के भी यही बिंदु हैं। गत 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक असंतोष का हवाला देकर 20 नवंबर के अपने आदेश पर रोक लगा दी। अरावली के लिए टेक्निकल कमेटी द्वारा सुझाई समुद्र तल के बजाय लोकल-एरिया तल से 100 मीटर ऊंचाई वाली व्याख्या अपने आप में त्रुटिपूर्ण, अवैज्ञानिक और मनमानी आधारित है, न कि पहाड़ी की ऊंचाई मापने के यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के मुताबिक। यह क्षेत्र ऐसे भी समुद्र तल से 100 मीटर से ज़्यादा ऊंचा है, यानी यहां के स्थानीय स्थल से 99 मीटर ऊंचा पहाड़ समुद्र तल से 199 मीटर ऊंचा होगा परन्तु टेक्निकल समिति की व्याख्या अनुसार यह पहाड़ अरावली का हिस्सा नहीं माना जायेगा जब तक 100 मीटर ऊंचे दो पहाड़ों के 500 मीटर दायरे में नहीं आएगा। इससे राजस्थान के 90 फीसदी पहाड़ अरावली रेंज से बाहर हो जाएंगे। भारतीय वन सर्वेक्षण मुताबिक, राजस्थान में 12081 अरावली पहाड़ियों में से सिर्फ 1048 (8.7 फीसदी) ही 100 मीटर ऊंचाई का मापदंड पूरा करेंगी।

समुद्र तल एक यूनिवर्सल स्टैंडर्डाइज्ड रेफरेंस पॉइंट है, जबकि लोकल रिलीफ मनमाना है। दूसरा, राजस्थान में एक परिभाषा है और उसी के अनुसार माइनिंग की अनुमति है, जबकि दिल्ली और हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के लिए ऐसी कोई परिभाषा नहीं और माइनिंग पर रोक है। कमेटी ने राजस्थान लीगल कोड में अरावली को परिभाषित कर 'एक समानता' जोड़ी व इसे हरियाणा और अरावली रेंज साझा करने वाले सभी राज्यों में लागू किया, जिससे कानूनन हरियाणा में भी माइनिंग और अन्य गतिविधियों की अनुमति की राह खुलती है।

परिभाषा का घोषित लक्ष्य अरावली में माइनिंग को 'रेगुलेट' करना है, न कि रोकना। दिल्ली और हरियाणा में अरावली में ज़्यादा अलग-थलग छोटी पहाड़ियां और चोटियां हैं। यही वह मुख्य बात है जिस पर रियल एस्टेट कारोबारियों की नज़र है, जो गुड़गांव व फरीदाबाद जिलों में अपने कार्य को कानूनी रूप देना चाहते हैं, जहां वे किसी न किसी तरह से पहले ही काम कर रहे हैं, जिससे वहां जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं। साल 2023 के एक सर्वे में, इस इलाके में 786 एकड़ ज़मीन पर मंज़ूरशुदा इमारतों के अलावा, लग्ज़री फार्म हाउस, रिसॉर्ट, बैंक्वेट हॉल, घर, धार्मिक स्थल और शैक्षणिक संस्थान वगैरह के रूप में 6793 गैर-कानूनी स्ट्रक्चर पाए गए।

यह बाज़ार-संचालित खनन, वनों की कटाई और रियल एस्टेट विकास है जिससे अरावली पहाड़ियों को खतरा है। एक बार जब अरावली के कुछ हिस्सों को उसके दायरे से बाहर रखने के लिए परिभाषित किया जाएगा, तो खनन और रियल एस्टेट कंपनियों को न उस क्षेत्र पर कानूनन कब्ज़ा करने की अनुमति मिल जाएगी; इसके बाद उन्हें अरावली के दिल में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकेगा। बाज़ार-संचालित ताकतें इसी तरह काम करती हैं। 'मुनाफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा करने' के मकसद से काम करने वाली बाज़ार-संचालित ताकतें मानवीय, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और प्राकृतिक चिंताओं के 'बाहरी प्रभावों' पर ध्यान नहीं देतीं, जिसके चलते प्रदूषण, संसाधनों की कमी और सांस्कृतिक विरासत का नुकसान होता है।

यहीं पर सरकारों को हस्तक्षेप करना होगा और बाज़ार की ताकतों को अपने पक्ष में सब कुछ तय करने देने के बजाय मानव कल्याण, पर्यावरण और पारिस्थितिक संरक्षण को प्राथमिकता देनी होगी। इसलिए, अरावली पहाड़ियों के लिए एक ऐसी परिभाषा, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक को सीधे या अप्रत्यक्ष नुकसान पहुंचा सकती है, अपनाने और कानून बनाने से पहले सरकार और सुप्रीम कोर्ट को सभी कोणों से इसकी जांच करनी चाहिए।

अभियान

जहाँ एक माह का त्याग बनता है जीवन भर की साधना: संगम तट पर कल्पवास की अद्भुत परम्परा

प्रयागराज की पावन धरती पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर जब पौष पूर्णिमा का सूर्य उदित होता है, तब केवल एक धार्मिक आयोजन की शुरुआत नहीं होती, बल्कि मानव जीवन को भीतर से परिष्कृत करने वाली एक कठिन साधना का आरंभ होता है। 3 जनवरी से प्रारम्भ हुए माघ मेले के साथ ही संगम की रेती पर घास-फूस और तंबुओं से एक अस्थायी संसार बस चुका है। देश के कोने-कोने से आए साधु-संत, धर्माचार्य और सामान्य गृहस्थ श्रद्धालु इस रेत पर अपना आशियाना बनाकर एक महीने के लिए संसार की गति से अलग हो जाते हैं। यह अलगाव पलायन नहीं, बल्कि आत्मसंयम, अनुशासन और आत्मशुद्धि की ओर बढ़ने का संकल्प है, जिसे कल्पवास कहा जाता है।

माघ मेले में कल्पवास को सबसे विशिष्ट और कठोर साधना माना गया है। कल्पवास केवल किसी स्थान पर रहने का नाम नहीं, बल्कि स्वयं को नियमों में बांधने की एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक चलने वाली यह साधना लौकिक और पारलौकिक कष्टों के निवारण का माध्यम मानी जाती है। धार्मिक परंपरा के अनुसार कल्पवास गृहस्थ जीवन में रहकर तप और संयम की परीक्षा है, जिसमें व्यक्ति अपने सुख, सुविधा और आदतों का त्याग कर ईश्वर की शरण में जाता है। यही कारण है कि इसे मोक्ष प्राप्ति का साधन भी कहा गया है।

तीर्थ पुरोहितों के अनुसार कल्पवास की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इसका उल्लेख पुराणों, धर्मशास्त्रों और रामायण जैसे ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि जन्म-जन्मांतर के पापों और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए संगम तट पर कल्पवास का विधान किया गया। कल्पवास के प्रथम दिन पौष पूर्णिमा को श्रद्धालु सबसे पहले क्षौर कर्म अर्थात मुंडन कराते हैं। यह कर्म बाह्य शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके पश्चात संगम में स्नान कर कल्पवासी संकल्प लेते हैं। यह संकल्प गंगापुत्र या तीर्थ पुरोहित द्वारा कराया जाता है, जिसमें श्रद्धालु अपना नाम, गोत्र और कल्पवास का उद्देश्य स्पष्ट करता है।

परंपरागत रूप से कल्पवास का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति और कष्ट निवारण रहा है, लेकिन समय के साथ इसके कारणों में परिवर्तन भी दिखाई देता है। अब बड़ी संख्या में लोग पारिवारिक कलह, संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि, व्यापार में उन्नति और रोजगार की कामना लेकर कल्पवास करते हैं। इसके बावजूद कल्पवास की आत्मा वही बनी हुई है—संयम, त्याग और अनुशासन। संकल्प के बाद कल्पवासी अपने शिविर में शालिग्राम या इष्ट देवता की मूर्ति अथवा चित्र की स्थापना कर पूजा करते हैं। इसके पश्चात शिविर के बाहर जौ की बुवाई और तुलसी का पौधा रोपण किया जाता है। यह कर्म सृजन, जीवन और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इन सभी विधानों के पूर्ण होने के बाद ही जलपान और भोजन ग्रहण किया जाता है।

कल्पवास को गृहस्थ जीवन की कठोर साधना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें साधु जीवन के अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है। इस अवधि में सात्विक और अनुशासित जीवन अनिवार्य होता है। दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त से प्रारम्भ होती है। माघ मास की कड़ाके की ठंड में दिन में तीन बार गंगा स्नान का विधान है। पहला स्नान प्रातःकाल, दूसरा अपराह्न और तीसरा सायंकाल किया जाता है। प्रातः स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर शिविर में लौटकर इष्ट देव की पूजा होती है। इसके बाद अन्नदान का विधान है, जिसे अनेक कल्पवासी अपनी सामर्थ्य के अनुसार निभाते हैं।

तीर्थ पुरोहित बताते हैं कि प्रतिदिन कम से कम तीन लोगों को अन्नदान करना चाहिए—गंगापुत्र, दरिद्र नारायण और पुरोहित। दिन में केवल एक समय भोजन किया जाता है, जो अत्यंत सादा और सात्विक होता है। भोजन सामान्यतः अपराह्न में बनाया जाता है। शास्त्रों में भोजन से पूर्व स्नान का विधान है, हालांकि इसका कठोरता से पालन सभी नहीं कर पाते। अनेक लोग गंगाजल का आचमन कर लेते हैं। सायंकाल का स्नान गोधूलि बेला में होना चाहिए। वृद्ध और अस्वस्थ कल्पवासी सायंकाल गंगा तट पर जाकर स्पर्श और आचमन के साथ क्षमा याचना कर लेते हैं।

कल्पवास के दौरान संध्या समय गंगा आरती में सम्मिलित होना या स्वयं दीपदान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इसके साथ ही जप, ध्यान और पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। भोजन और विश्राम के पश्चात कल्पवासी अपना समय मेला क्षेत्र में हो रहे प्रवचनों, रामकथा, भागवत कथा और अन्य धार्मिक आयोजनों के श्रवण में लगाते हैं। अनेक श्रद्धालु अपने शिविरों में ही सामूहिक कथा वाचन और भजन-कीर्तन का आयोजन करते हैं। इस अवधि में सायंकाल भोजन का निषेध है, लेकिन आवश्यकता होने पर फलाहार या जलपान की अनुमति दी गई है। कल्पवास की साधना में निषेधों का भी विशेष स्थान है। तामसी भोजन, मांसाहार और नशा पूर्ण रूप से वर्जित हैं। मान्यता है कि तामसी भोजन मन और इंद्रियों को विचलित करता है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की निंदा—चाहे वह ईश्वर की हो, शास्त्र की, गुरु की या किसी व्यक्ति की—घोर पाप मानी गई है। कहा जाता है कि तामसी भोजन का प्रायश्चित संभव है, लेकिन निंदा का नहीं। संकल्प लेने के बाद बिना अपरिहार्य कारण के मेला क्षेत्र छोड़ना भी निषिद्ध है।

कल्पवास की अवधि एक माह की होती है, जो पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक चलती है। इस वर्ष यह साधना 3 जनवरी से प्रारम्भ होकर 1 फरवरी को समाप्त होगी। हालांकि अनेक श्रद्धालु मकर संक्रांति या अन्य तिथियों से आकर कुछ दिन रहकर कल्पवास करते हैं। शास्त्रीय मान्यता भले ही पूर्ण न मानी जाए, लेकिन गंगा तट पर जप, तप और दान का पुण्य अवश्य प्राप्त होता है।

यह आयोजन जाति, पंथ और संप्रदाय की सीमाओं से परे है। यहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं दिखाई देता। आर्य समाज, सिख, कबीर पंथी सहित विभिन्न समुदायों के लोग कल्पवास करते हैं। सिख समाज विशेष रूप से अन्नदान, वस्त्र और कंबल वितरण जैसे सेवा कार्यों में सक्रिय रहता है। कल्पवास का एक चक्र बारह वर्ष का माना गया है। बारह वर्ष पूर्ण होने पर अनेक श्रद्धालु शैया दान करते हैं और फिर अगले चक्र का संकल्प लेते हैं।

महाकुंभ के बाद आयोजित इस माघ मेले में संगम तट पर बसने वाले इन अस्थायी शिविरों से जो आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि मानव जीवन को संयम, धैर्य और आत्मशुद्धि की राह दिखाने वाला जीवंत उदाहरण है। कठोर साधना, अनुशासित जीवन और गहरी श्रद्धा से भरा यह महापर्व आज भी भारतीय संस्कृति की आत्मा को जीवित रखे हुए है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

शहरी विकास वर्ष 2025 के दौरान राज्य के शहरी क्षेत्रों के जल संसाधनों में 92.97 एमएलडी तथा ट्रांसमिशन सिस्टम्स में 528.35 किलोमीटर की वृद्धि

- हाल में राज्य के 103 शहरों में दैनिक जलापूर्ति सुनिश्चित, 30 शहरों में विभिन्न योजनाओं के तहत जलापूर्ति के कार्य प्रगति पर
- एससीएडीए सिस्टम से प्रमुख महानगरों में पानी के समान वितरण तथा अन्य जल संसाधन संबंधित सेवाओं की डिजिटल मॉनिटरिंग होती है
- गुजरात के सभी शहरी क्षेत्रों में दैनिक जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लागू हो रहा है 'मिशन डेली वॉटर सप्लाई'

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार की राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में दैनिक जलापूर्ति यानी प्रतिदिन जलापूर्ति तथा सुरक्षित पेयजल तक समान पहुँच सुनिश्चित कर राज्य को टिकाऊ शहरी जल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित करने की मंशा है। इसी उद्देश्य से शहरी विकास वर्ष 2025 के दौरान राज्य के शहरी क्षेत्रों के जल संसाधनों में 92.97 एमएलडी तथा ट्रांसमिशन सिस्टम्स में 528.35 किलोमीटर की वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त; मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में दैनिक आधार पर जलापूर्ति करने के लिए 'मिशन डेली वॉटर सप्लाई' जैसी पहल लागू की जा रही है। इस मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार विभिन्न वॉटर सप्लाई तथा सेनिटेशन संबंधी परियोजनाएँ शुरू करने एवं पहलों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायता प्रदान करती है। उल्लेखनीय है कि वर्ल्ड क्लास सिटी डेवलपमेंट को वेग देने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025 को 'शहरी विकास वर्ष' के रूप में घोषित किया गया है और इस वर्ष के दौरान राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में ढाँचागत सुविधाओं के विकास पर ध्यान केन्द्रित कर रही है।

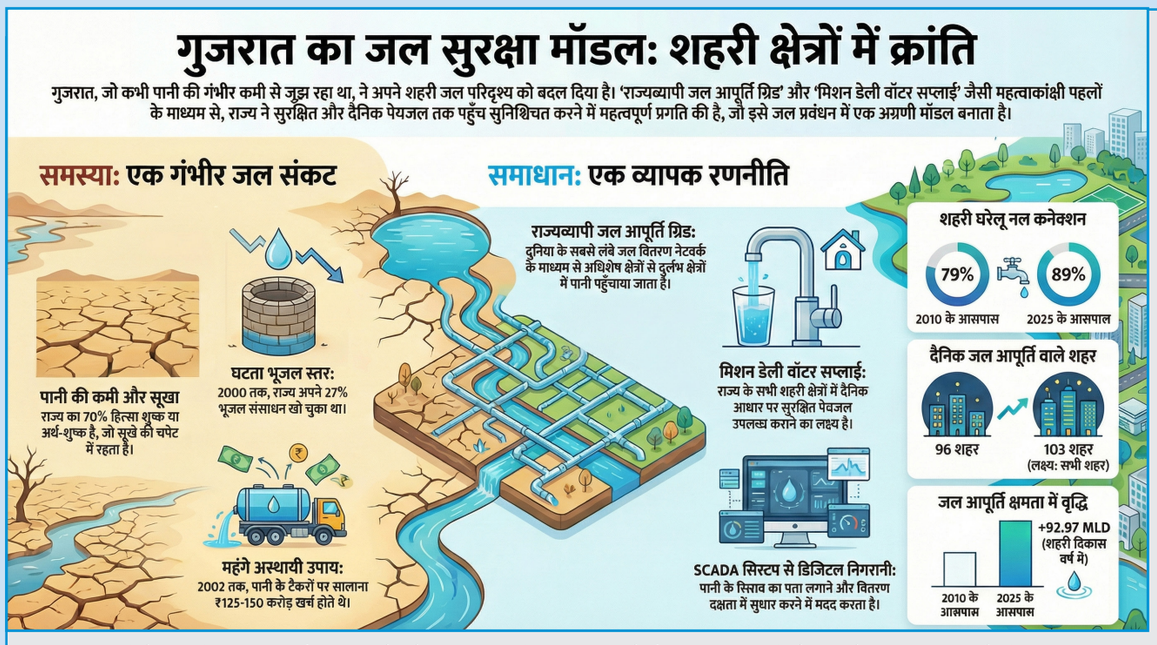

तहत जलापूर्ति के कार्य प्रगति पर हैं। राज्य के शेष 32 स्थानीय निकायों में दैनिक जलापूर्ति हो; इसके लिए मिशन डेली वॉटर सप्लाई लागू किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न घटकों के कार्यों का आयोजन किया गया है।

हाल में राज्य के 103 शहरों में प्रतिदिन जलापूर्ति हो रही है

उल्लेखनीय है कि हाल में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा पहलों के अंतर्गत 103 शहरों में दैनिक आधार पर जलापूर्ति की जा रही है। शेष शहरों में से 30 शहरों में विभिन्न योजनाओं के

एससीएडीए सिस्टम से प्रमुख महानगरों में पानी के समान वितरण तथा अन्य जल संसाधन संबंधित सेवाओं की डिजिटल मॉनिटरिंग

शहरी क्षेत्रों में पानी के समान वितरण तथा अन्य जल संसाधन संबंधित सेवाओं की डिजिटल मॉनिटरिंग करने के लिए प्रमुख महानगरों में सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन (एससीएडीए) सिस्टम सफलतापूर्वक लागू किया गया है। यह सिस्टम लीक डिटेक्शन, लो प्रेशर पॉकेट, नॉन-रेवन्यू वॉटर (एनआरडब्लू) में कमी, जरूरी दबाव के साथ प्रतिव्यक्ति जलापूर्ति में सुधार, जरूरी पंपिंग कार्यक्षमता के साथ पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण, वॉल्व मॉनिटरिंग आदि में सहायता करता है। इस सिस्टम के कारण एनआरडब्लू से होने वाले नुकसान में कमी आई है और पानी के समान वितरण तथा अन्य जल संसाधन सेवाओं की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग संभव हुई है। उल्लेखनीय है कि डेली वॉटर सप्लाई मिशन तथा जलापूर्ति संबंधी अन्य योजनाओं एवं पहलों के क्रियान्वयन से आम लोगों को प्रतिदिन पीने योग्य पानी मिलेगा, जिससे दीर्घावधि के लिए जल संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रतिदिन पीने का पानी उपलब्ध होने से पानी के अन्य स्रोतों पर निर्भरता भी घटेगी। शहरों के सुगठित तथा योजनापूर्वक विकास से शहरों में बसने वाले नागरिकों को 'ईज ऑफ लिविंग' का अनुभव प्रदान करने के लिए राज्य सरकार का शहरी विकास विभाग प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने गांधीनगर शहर में टाइफाइड बीमारी फैलने के कारण उत्पन्न स्थिति की सर्वग्राही समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की

- उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी वीडियो कॉन्फ्रेंस से सहभागी हुए
- मुख्यमंत्री ने मरीजों के उपचार, रोग नियंत्रण व निवारण के लिए उठाए जा रहे कदमों को अधिक सघन बनाने के दिशानिर्देश दिए
- गांधीनगर सहित राज्य के शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी के प्रतिदिन सैंपल लेकर उसकी योग्यता और क्लोरीनेशन की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही जल वितरण व्यवस्था हो : मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल
- गांधीनगर महानगर पालिका द्वारा केसों की संख्या में उतरोत्तर कमी होने की जानकारी प्रदान की गई

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने मंगलवार को गांधीनगर में आयोजित उच्च स्तरीय सर्वग्राही समीक्षा बैठक में गांधीनगर शहर में टाइफाइड बीमारी फैलने के कारण उत्पन्न स्थिति में महानगर पालिका तथा राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से मरीजों के उपचार, रोग नियंत्रण तथा निवारण के लिए उठाए जा रहे कदमों को अधिक सघन बनाने के सुझाव दिए। इस बैठक में गांधीनगर महानगर पालिका आयुक्त ने मुख्यमंत्री को इस बीमारी के नियंत्रण के लिए महानगर पालिका द्वारा स्वास्थ्य विभाग के समन्वय में रहकर हो रहे कामकाज का विवरण देते हुए कहा कि अब केसों में उत्तरोत्तर कमी देखने को मिल रही है। महानगर पालिका द्वारा 85 सर्वे टीमें बनाकर 1 लाख 58 हजार से अधिक लोगों का सर्वेलांस किया गया है। क्लोरीन टैबलेट्स और ओआरएस पैकेट का भी पर्याप्त मात्रा में वितरण किया गया है। लीकेज के रिपेयरिंग कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है तथा सभी जल स्रोतों में सुपर क्लोरीनेशन भी किया गया है।

मुख्यमंत्री ने जलजन्य बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए सघन उपाय के रूप में गांधीनगर सहित राज्य के शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी के प्रतिदिन सैंपल लेकर उसकी योग्यता और क्लोरीनेशन की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही जल वितरण व्यवस्था करने के स्पष्ट दिशानिर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने वर्तमान में पाइपलाइन से संबंधित जो कार्य प्रगति पर हैं, उनकी फील्ड विजिट करके गुणवत्ता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को सुझाव दिए। उन्होंने वॉटर टेस्टिंग का दायरा बढ़ाने और लीकेज को तत्काल प्रभाव से रोकने के कदम उठाने की ताकीद की।

इस बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तथा स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री राजीव टोपनो, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, जल आपूर्ति एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव श्री डॉ. विक्रांत पांडे, शहरी क्षेत्र की स्वास्थ्य कमिश्नर डॉ. रतनकंवर गढवीचारण, गांधीनगर महानगर पालिका आयुक्त, जिला कलेक्टर, जिला विकास अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं चिकित्सक उपस्थित रहे।

वडोदरा मंडल की अपील

उत्तरायण मनाए , रेलवे ओवर हेड वायर से दूरी बनाए

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के सभी खंडों में रेलवे लाइन के ऊपर 25,000 वोल्ट की ओवरहेड इलेक्ट्रिक (OHE) हाई वोल्टेज तारें लगी हुई हैं, यह अत्यंत खतरनाक एवं जानलेवा हैं।वडोदरा मंडल आप से अपील करता हे की आप उत्तरायण मनाए एवं अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखे ,रेलवे ट्रैक के पास पतंग न उडाये ।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उत्तरायण/मकर संक्रांति पर्व के दौरान पतंग उड़ाते समय पतंग की डोर (मांझा) इन हाई वोल्टेज तारों में उलझ जाती है। इस दौरान पतंगों के धागों को निकालने के लिए बांस व बांस पर अन्य धातुके हुक का उपयोग करते हैं। जिसके कारण व्यक्तिओं को बिजली का झटका लगने से जान का खतरा बना रहता हैं।

इस दौरान २५००० वोल्ट के बिजली के तार टूट कर नीचे गिर सकते हैं, जिससे रेल यातायात में बाधा उत्पन्न हो सकती हैं, व्यवधान के साथ – साथ जान जाने की सम्भावना रहती हैं।

साथ ही ऐसे मामलों में रेलवे कर्मचारी जब ट्रैक पर कार्य करते हैं, तो इन धागों के संपर्क में आने से गंभीर विद्युत झटके का खतरा बना रहता है।

रेल प्रशासन सभी नागरिकों से अपील करता है कि सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए स्वयं सतर्क रहें तथा दूसरों को भी अधिक से अधिक जागरूक करें।

अपनी एवं दूसरों की सुरक्षा हेतु कृपया निम्नलिखित सावधानियां

अवश्य अपनाएं:

- रेलवे ट्रैक, ब्रिज, स्टेशन, पोल एवं ओवरहेड तारों से दूर पतंग उड़ाएं।
- रेलवे क्षेत्र में गिरी या फंसी हुई पतंग अथवा मांझा उठाने का प्रयास न करें।
- बच्चों पर विशेष ध्यान रखें और उन्हें रेलवे क्षेत्र से दूर रखें।

सुरक्षित रहें — जिम्मेदारी के साथ उत्तरायण मनाएं।

गांधीधाम सब डिवीजन रेलवे हॉस्पिटल में पहली बार सफल टोटल नी रिप्लेसमेंट (TKR) सर्जरी

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे, अहमदाबाद मंडल के सब डिवीजन रेलवे हॉस्पिटल, गांधीधाम में 05 जनवरी 2026 को पहली बार टोटल नी रिप्लेसमेंट (TKR) सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। यह जटिल शल्यक्रिया 56 वर्षीय महिला रेलवे लाभार्थी की सब-डिवीजन रेलवे अस्पताल, गांधीधाम के अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर में की गई। केस-टू-केस आधार पर नियुक्त ऑर्थोपेडिक सर्जन एवं एनेस्थेटिस्ट की विशेषज्ञ टीम द्वारा यह सर्जरी पूर्णतः सुरक्षित, सुचारु एवं सफलतापूर्वक की गई।

यह महत्वपूर्ण उपलब्धि डॉ. रमेश जांगिड, मण्डल चिकित्सा अधिकारी (DMO), गांधीधाम के मार्गदर्शन में प्राप्त हुई है, जो सब-डिवीजन रेलवे अस्पताल, गांधीधाम में उन्नत ऑर्थोपेडिक सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस पहल से भविष्य में रेलवे लाभार्थियों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी।

अहमदाबाद मंडल, पश्चिम रेलवे द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के निरंतर उन्नयन की दिशा में यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, 12.55 करोड़ मतदाता दर्ज, 2.89 करोड़ नाम हटाए गए - 6 फरवरी तक दावा और आपत्ति की प्रक्रिया शुरू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को राज्य की नई ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल 12 करोड़ 55 लाख मतदाता दर्ज किए गए हैं। इस सूची की तैयारी के दौरान राज्यभर में एक विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया गया, जिसके तहत पुराने रिकॉर्ड, मृतक मतदाता, स्थानांतरित नागरिक और डुप्लीकेट नामों की जांच की गई। पिछले मतदाता सूची में कुल 15 करोड़ 44 लाख नाम दर्ज थे, जिसमें से 2 करोड़ 89 लाख नाम हटाए गए। यह लगभग 18 प्रतिशत संख्या है। निर्वाचन आयोग ने इस कदम को राज्य में आगामी चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने और मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने के लिए आवश्यक बताया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि ड्राफ्ट सूची में नाम हटाने की प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी और नियमानुसार की गई है। सूची में शामिल न होने वाले मतदाता अब 6 फरवरी 2026 तक दावा या आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और स्थानीय मतदाता सहायता केंद्रों पर आवश्यक फॉर्म और मार्गदर्शन उपलब्ध हैं। नवदीप रिणवा ने कहा कि यह पहल खासतौर पर युवा मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी नए मतदाता अपने नाम को सूची में शामिल करा सकें और आगामी चुनावों में मतदान कर सकें।

पुरानी सूची में दर्ज अधिकांश नाम सत्यापन प्रक्रिया के दौरान पुष्ट किए गए, लेकिन लगभग 18 प्रतिशत लोग सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं हो सके। हटाए गए नामों में सबसे अधिक संख्या 46.23 लाख मृतक मतदाताओं की थी। इसके अलावा, 2.17 करोड़ मतदाता ऐसे थे जो अपने पते बदल चुके थे या अब अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में थे, और 25.47 लाख मतदाता ऐसे थे जिनका नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज था। इन सभी कारणों से कुल 2.89 करोड़ नाम नई ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किए गए।

मतदाता सूची का अद्यतन राज्य में लोकतंत्र की मजबूती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया से मतदाता पहचान की विश्वसनीयता बढ़ती है, चुनावों में धोखाधड़ी और डुप्लीकेशन की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। इसके अलावा, यह उम्मीदवारों, चुनाव आयोग और प्रशासन के लिए चुनाव संचालन में भी सुविधा प्रदान करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की साफ-सुथरी सूची चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है, और मतदाताओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करती है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी की जांच करें और यदि उनका नाम सूची में नहीं है या किसी प्रकार की त्रुटि है, तो समय रहते दावा या आपत्ति दर्ज कराएँ। उन्होंने यह भी कहा कि फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन करने वाले सभी मतदाताओं की जानकारी को ध्यानपूर्वक सत्यापित किया जाएगा, और किसी भी गलत या अधूरी जानकारी को सुधारा जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

राज्य में मतदाता सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है, जहां नागरिक अपनी शिकायतें या सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष मतदाता कैंप आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सूची में शामिल होने का अवसर मिल सके। यह अभियान न केवल राज्य के वर्तमान मतदाताओं के लिए बल्कि नए और युवा मतदाताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिससे लोकतंत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ड्राफ्ट सूची में 2.89 करोड़ नाम हटाने का निर्णय राज्य की चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता के दृष्टिकोण से ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में मतदाता सूची सटीक हो, और कोई भी व्यक्ति दोहरा वोटिंग करने या डुप्लीकेट पहचान का उपयोग करने में सक्षम न हो। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से ही लोकतंत्र मजबूत बनता है। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे सूची की जांच करें, गलतियों को सुधारें और सुनिश्चित करें कि उनका नाम आगामी चुनावों में मतदान के लिए सुरक्षित और वैध रूप से दर्ज हो।

उत्तर प्रदेश की नई ड्राफ्ट मतदाता सूची राज्य के लोकतंत्र को मजबूत बनाने, चुनावी पारदर्शिता बढ़ाने और मतदाता जागरूकता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। 12.55 करोड़ दर्ज मतदाता राज्य की राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं, और इस प्रक्रिया से राज्य में लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता और चुनावी प्रक्रिया की मजबूती को बढ़ावा मिलेगा।

पश्चिम रेलवे द्वारा RailOne ऐप के माध्यम से डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा देने की पहल

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों को रेलवन (RailOne) ऐप के माध्यम से डिजिटल, त्वरित एवं कैशलेस टिकटिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक व्यापक जन-जागरूकता एवं प्रचार अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य यात्रियों की सुविधा बढ़ाना और यात्रा को अधिक सुगम बनाना है। रेलवन ऐप एक एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसके माध्यम से यात्री आरक्षित टिकट बुकिंग, अनारक्षित टिकट बुकिंग एवं प्लेटफॉर्म टिकट, ट्रेनों की रियल टाइम जानकारी, ग्राहक सहायता आदि जैसी रेलवे की विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, टिकट बुकिंग स्टाफ, टिकट चेकिंग स्टाफ तथा संबंधित पर्यवेक्षकों को रेलवन ऐप की विशेषताओं के बारे में संवेदनशील किया गया है, ताकि वे यात्रियों को प्रभावी रूप से मार्गदर्शन एवं प्रेरित कर सकें। वाणिज्यिक पर्यवेक्षक एवं टिकट चेकिंग स्टाफ स्टेशनों पर सक्रिय रूप से प्रचार अभियान चला रहे हैं, जिनके माध्यम से ऐप की उपयोगिता एवं सरलता को उजागर किया जा रहा है। सार्वजनिक जागरूकता को और

अधिक बढ़ाने के लिए स्टेशनों पर पोस्टर एवं पर्चे प्रदर्शित एवं वितरित किए जा रहे हैं, प्रमुख स्टेशनों पर विशेष सहायता काउंटर स्थापित किए गए हैं तथा जन उद्घोषणा (PA) प्रणाली और पश्चिम रेलवे के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से नियमित घोषणाएँ की जा रही हैं। अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में, रेलवन ऐप पर सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों के जरिए अनारक्षित टिकट बुक करने वाले यात्रियों को 3% की छूट प्रदान की जाएगी, जो 14 जनवरी, 2026 से 14 जुलाई, 2026 तक लागू रहेगी।

टिकटिंग के अतिरिक्त, रेलवन ऐप पर उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं में ट्रेन सर्च, पीएनआर स्थिति, कोच पोजिशन, ट्रैक योर ट्रेन, ऑर्डर योर फूड, रिफंड दर्ज करना, रेल मदद तथा गो टू वेब्स शामिल हैं।

वर्तमान में यूटीएस (UTS) ऐप का उपयोग कर रहे यात्रियों को भारतीय रेल के ऑल-इन-वन मोबाइल एप्लिकेशन रेलवन पर सहज रूप से स्थानांतरित होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वे एक ही उपयोगकर्ता-अनुकूल प्लेटफॉर्म पर टिकट बुकिंग जारी रखने के साथ-साथ अनेक अतिरिक्त सेवाओं का लाभ उठा सकें। मौजूदा यूटीएस उपयोगकर्ता प्रदान किए गए इमेज फ्लोचार्ट में दर्शाई गई सरल चरणबद्ध माइग्रेशन प्रक्रिया का पालन करके अपने खातों को रेलवन ऐप में स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल्स का स्थानांतरण संभव हो सकेगा और बिना किसी व्यवधान के सेवाओं का निरंतर उपयोग सुनिश्चित होगा।Flowchart(5).jpeg

रेलवन ऐप तक आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, एंड्रॉयड तथा iOS दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए QR कोड स्कैनर स्टेशनों पर तथा पश्चिम रेलवे के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से प्रचारित किए जा रहे हैं, जिससे यात्री ऐप तक तुरंत पहुँच प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त, स्टेशनों पर तैनात कर्मचारियों के साथ-साथ 139 टोल-फ्री हेल्पलाइन पर कार्यरत कर्मियों को भी रेलवन ऐप से संबंधित यात्रियों के प्रश्नों का समाधान करने हेतु प्रशिक्षित किया गया है। WhatsApp Image 2026-01-06 at 19.04.31.jpeg

श्री विनीत अभिषेक ने बताया कि रेलवन ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने वाले यात्रियों को R-Wallet के जरिए भुगतान करने पर 3% कैशबैक का लाभ मिलेगा। उन्होंने विशेष रूप से यूटीएस ऐप के वर्तमान उपयोगकर्ताओं से आग्रह किया कि वे रेलवन ऐप पर स्थानांतरित हों और इसकी एकीकृत सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करें। साथ ही, अनारक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों (R-Wallet को छोड़कर) पर 3% की छूट अथवा R-Wallet के माध्यम से भुगतान करने पर 3% बोनस के रूप में कैशबैक का लाभ उठाएँ तथा सुरक्षित, सुविधाजनक और कैशलेस डिजिटल टिकटिंग समाधान अपनाकर पश्चिम रेलवे पर सुगम, स्मार्ट और अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्राप्त करें।

कांदिवली–बोरीवली सेक्शन पर छठी लाइन के कार्य के संबंध में पश्चिम रेलवे का मेजर ब्लॉक

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा कांदिवली–बोरीवली सेक्शन के बीच छठी लाइन के निर्माण से संबंधित कार्य को पूरा करने के लिए 20/21 दिसंबर, 2025 की रात से 18 जनवरी, 2026 तक कुल 30 दिनों का ब्लॉक लिया गया है। इस ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उपर्युक्त कार्य के संबंध में कांदिवली में अप फास्ट लाइन पर पॉइंट संख्या 102 के समावेशन हेतु 07/08 जनवरी, 2026 की रात मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक अप फास्ट लाइन पर 00:00 बजे से 05:30 बजे तक तथा डाउन फास्ट लाइन पर 01:00 बजे से 04:30 बजे तक लिया जाएगा। अतिरिक्त रूप से, 08/09.01.2026 को कांदीवली पर पॉइंट्स इनसर्शन और डिसमेंटल के कार्य के लिए अप फास्ट लाइन में 23:15 से 03:15 बजे तक और डाउन फास्ट लाइन में 01:00 से 04:30 बजे तक एक मेजर ब्लॉक लिया जाएगा। उपर्युक्त ब्लॉकों तथा पाँचवीं लाइन के निलंबन के साथ गति प्रतिबंध के कारण कुछ उपनगरीय ट्रेनें निरस्त रहेंगी, जबकि कुछ मेल/एक्सप्रेस

ट्रेनों को रेगुलेट किया जाएगा।

शॉर्ट टर्मिनेट होने वाली ट्रेनें:

07 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19426 नंदुरबार–बोरीवली एक्सप्रेस वसई रोड पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी।

07 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19418 अहमदाबाद–बोरीवली एक्सप्रेस वसई रोड पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी।

शॉर्ट ओरिजिनेट होने वाली ट्रेनें:

07 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19417 बोरीवली–अहमदाबाद एक्सप्रेस वसई रोड से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी।

07 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19425 बोरीवली–नंदुरबार एक्सप्रेस वसई रोड से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी।

ब्लॉक के कारण प्रभावित ट्रेनों की विस्तृत सूची अनुलग्नक–I, II, III में दी गई है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध है। यात्रियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

छात्रसंघ चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट संदेश, लिंगदोह समिति लागू कराने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देशभर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनावों को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया। इस फैसले के साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि बिना ठोस तथ्यों और मजबूत संवैधानिक आधार के दाखिल की गई याचिकाओं के जरिए न्यायिक प्रक्रिया का उपयोग केवल प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। अदालत का यह रुख ऐसे समय में सामने आया है, जब छात्र राजनीति और कैंपस चुनावों को लेकर लगातार बहस होती रही है।

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने शिव कुमार त्रिपाठी द्वारा दाखिल याचिका पर संक्षिप्त लेकिन अहम सुनवाई की। याचिका में मांग की गई थी कि देश के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनावों के लिए लिंगदोह समिति की सिफारिशों को अनिवार्य रूप से लागू कराया जाए, ताकि कैंपस में निष्पक्ष, पारदर्शी और अनुशासित चुनाव सुनिश्चित हो सकें। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि कई शिक्षण संस्थानों में छात्रसंघ चुनाव धनबल, बाहुबल और बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप का माध्यम बन चुके हैं, जिससे शिक्षा का माहौल प्रभावित हो रहा है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस तर्क से सहमत नहीं हुआ। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह की याचिकाएं अकसर केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने का माध्यम बन जाती हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अदालत को ऐसा कोई ठोस कारण नजर नहीं आ रहा है, जिसके आधार पर इस मामले में हस्तक्षेप किया जाए। इसके साथ ही पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।

लिंगदोह समिति का गठन वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। उस समय देश के कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रसंघ चुनावों के दौरान हिंसा, अत्यधिक खर्च और राजनीतिक दलों के खुले हस्तक्षेप की शिकायतें सामने आ रही थीं। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने एक विशेषज्ञ समिति गठित करने को कहा था, ताकि छात्रसंघ चुनावों के लिए एक समान और अनुशासित ढांचा तैयार किया जा सके। समिति की अध्यक्षता पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जे.एम. लिंगदोह ने की थी। लिंगदोह समिति ने अपनी रिपोर्ट में छात्रसंघ चुनावों को लेकर कई अहम सिफारिशें की थीं। इसमें उम्मीदवारों की आयु सीमा तय करने, चुनावी खर्च पर नियंत्रण लगाने, पोस्टर और बैनर की संख्या सीमित करने तथा शैक्षणिक प्रदर्शन को चुनाव लड़ने की पात्रता से जोड़ने जैसे सुझाव शामिल थे। समिति के अनुसार, स्नातक छात्रों के लिए चुनाव लड़ने की आयु सीमा 17 से 22 वर्ष और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 24 से 25 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि लंबे समय तक पढ़ाई में लगे छात्र राजनीति के नाम पर कैंपस पर कब्जा न जमा सकें।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए इन्हें देशभर के शिक्षण संस्थानों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में मान्यता दी थी। इसके बावजूद अलग-अलग राज्यों और विश्वविद्यालयों में इन नियमों के पालन को लेकर स्थिति एक समान नहीं रही। कहीं इन्हें पूरी तरह लागू किया गया तो कहीं स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर इनमें बदलाव किए गए। इसी पृष्ठभूमि में समय-समय पर अदालत में याचिकाएं दाखिल होती रही हैं।

ताजा फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने यह संदेश दिया है कि छात्रसंघ चुनावों से जुड़े मुद्दों पर अदालत तभी हस्तक्षेप करेगी, जब सामने रखे गए तथ्यों में गंभीर संवैधानिक या कानूनी सवाल हों। केवल सामान्य आरोपों और व्यापक मांगों के आधार पर दाखिल जनहित याचिकाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। न्यायालय की इस टिप्पणी को न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा और जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग पर एक स्पष्ट चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।

इस फैसले के बाद यह भी साफ हो गया है कि छात्र राजनीति में सुधार की जिम्मेदारी केवल अदालतों पर नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय प्रशासन, छात्र समुदाय और नीति निर्धारकों पर भी समान रूप से है। सुप्रीम कोर्ट का यह रुख आने वाले समय में ऐसी याचिकाओं के लिए एक अहम मिसाल माना जा रहा है, जिसमें जनहित के नाम पर बिना ठोस आधार के न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की जाती है।

कड़ाके की ठंड में आस्था की अग्निपरीक्षा, शिवभक्ति में लीन महिला साध्वी कर रहीं 11 दिवसीय जलधारा तपस्या

(जीएनएस)। राजस्थान के जालोर जिले में इन दिनों आस्था और तपस्या की ऐसी मिसाल देखने को मिल रही है, जो शीतलहर की कठोरता को भी बौना साबित कर रही है। एक ओर जहां प्रदेशभर में ठंड का प्रकोप लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर रहा है, वहीं भीनमाल शहर में एक महिला साध्वी शिवभक्ति में लीन होकर कठिन जलधारा तपस्या कर रही हैं। तापमान जब महज 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास सिमटा हुआ है, तब श्री महाकालेश्वर धाम में राधागिरि महाराज नामक महिला साध्वी का तपस्वी स्वरूप श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बन गया है।

भीनमाल स्थित क्षेमंकरी माता मंदिर के समीप श्री महाकालेश्वर धाम में शनिवार से शुरू हुई यह जलधारा तपस्या लगातार 11 दिनों तक चलेगी और 14 जनवरी को संपन्न होगी। इस कठिन साधना में राधागिरि महाराज प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागकर शिव मंत्रों का जाप करती हैं और उनके ऊपर 108 मटकों से ठंडे पानी की अविरल धारा डाली जाती है। लगभग दो

घंटे तक चलने वाली इस साधना के दौरान वे पूरी तरह ध्यानमग्न रहती हैं। शरीर पर गिरती बर्फ जैसी ठंडी जलधारा के बीच भी उनके चेहरे पर न तो किसी तरह की पीड़ा दिखाई देती है और न ही एक क्षण के लिए साधना में विचलन।

राधागिरि महाराज बताती हैं कि इस तपस्या के लिए शारीरिक से अधिक मानसिक और आत्मिक तैयारी आवश्यक होती है। वे प्रतिदिन की साधना के लिए रात में ही 108 मटकों में पानी भरकर रख देती हैं, ताकि तड़के किसी तरह का व्यवधान न आए। उनके अनुसार जलधारा तपस्या आत्मसंयम, श्रद्धा और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का मार्ग है, जिसमें शरीर की सीमाओं से ऊपर उठकर मन और आत्मा को साधना में लीन किया जाता है। शिव का जाप और ध्यान ही इस साधना का आधार है, जिससे भीतर ऊर्जा और स्थिरता का संचार होता है।

रविवार को तपस्या के दूसरे दिन जैसे ही जलधारा शुरू हुई, पूरा महाकालेश्वर धाम 'ॐ नमः शिवाय' के मंत्रोच्चार से गूंज उठा। ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस अलौकिक दृश्य के साक्षी बनने के लिए मंदिर परिसर में जुटे। कई लोग इस तपस्या को देखकर भावविभोर हो गए और इसे शिव की कृपा तथा साध्वी की अटूट आस्था का प्रत्यक्ष प्रमाण बताया। श्रद्धालुओं का कहना है कि ऐसी कठिन साधना आज के समय में दुर्लभ है और यह लोगों को धैर्य, संयम और भक्ति का संदेश देती है।

श्री महाकालेश्वर धाम के महंत नवीनगिरि महाराज ने बताया कि यह धाम वर्षों से भक्ति, सेवा और साधना की समृद्ध परंपरा का केंद्र रहा है। जलधारा तपस्या इसी परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उल्लेख प्राचीन धार्मिक कथाओं और संत परंपराओं में मिलता है। उन्होंने कहा कि राधागिरि महाराज की 11 दिवसीय तपस्या न केवल व्यक्तिगत साधना है, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा भी है, जो यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कठिनाइयों का कोई महत्व नहीं होता।

महंत नवीनगिरि महाराज के अनुसार, जलधारा तपस्या का उद्देश्य केवल शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण, मन की शुद्धि और आत्मा के उत्थान की प्रक्रिया है। शिव भक्ति में यह तपस्या विशेष मानी जाती है, क्योंकि जल अभिषेक भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और साधक के भीतर विनम्रता तथा सहनशीलता का विकास करता है। राधागिरि महाराज द्वारा की जा रही यह तपस्या उसी प्राचीन साधना परंपरा को जीवंत बनाए हुए है।

इन दिनों श्री महाकालेश्वर धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का जीवंत केंद्र बन गया है। ठंडी हवाओं और गिरते तापमान के बीच साध्वी की निर्लिप्त साधना यह संदेश दे रही है कि जब श्रद्धा प्रबल हो, तो प्रकृति की कठोरतम परीक्षा भी साधक के संकल्प को डिगा नहीं सकती।

शीतलहर की गिरफ्त में देश, कोहरे की चादर में लिपटे शहर—राजधानी से गांव तक मौसम का डबल अटैक

(जीएनएस)। देशभर में सर्दी अपने चरम पर पहुंचती नजर आ रही है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी पूरी ताकत के साथ दिख रहा है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत तक शीतलहर और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए चेतावनी जारी करते हुए साफ किया है कि 7 जनवरी की सुबह कई राज्यों में घना से बहुत घना कोहरा छा सकता है, जिससे दृश्यता बेहद कम रहने की आशंका है।

मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहुत घना कोहरा पड़ने की संभावना है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू क्षेत्र, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी घने कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता कम रहेगी, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने, वाहन धीरे चलाने और फॉग लाइट का उपयोग करने की सलाह दी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पूर्वी भूमध्यरेखीय हिंद महासागर के ऊपर बने निम्न दबाव क्षेत्र और उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में अगले 5 से 7 दिनों तक सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की पूरी संभावना है। इसी के साथ कई राज्यों में शीतलहर की स्थिति बनी रहने की चेतावनी भी दी गई है।

उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में शीतलहर का असर फिलहाल जारी रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 8 जनवरी तक, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और ओडिशा में 9 जनवरी तक, राजस्थान में 11 जनवरी तक और मध्य प्रदेश, विदर्भ, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ में 8 जनवरी तक शीतलहर की स्थिति बने रहने का अनुमान है। ठंडी हवाओं और गिरते तापमान के चलते खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है।

राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां हवा की गुणवत्ता में हल्का सुधार जरूर देखा गया है, लेकिन हालात अभी भी संतोषजनक नहीं हैं। मंगलवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 293 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। सोमवार को यह आंकड़ा 244 था। मौसम विभाग और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों का अनुमान है कि अगले छह दिनों तक राजधानी का एक्यूआई खराब से बहुत खराब श्रेणी में बना रह सकता है। ठंडी हवाओं के साथ कोहरा और प्रदूषण मिलकर दिल्लीवासियों की परेशानी बढ़ा रहे हैं।

राजस्थान में भी सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। जयपुर समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। शीतलहर के कारण राज्य के कई हिस्सों में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी एक-दो दिनों में न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की और गिरावट हो सकती है और घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। ग्रामीण इलाकों में अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेते लोग नजर आ रहे हैं।

पूर्वी भारत में भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। झारखंड में निचले स्तरों पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की हवाओं के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। अगले तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है, हालांकि इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल में कड़ाके की ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोलकाता में मंगलवार को जनवरी का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया, जहां न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

जयपुर में पहली बार छावनी से बाहर गूंजेगा सेना का पराक्रम, 15 जनवरी को आर्मी डे परेड में दिखेगा शौर्य और आधुनिक सैन्य शक्ति

(जीएनएस)। जयपुर। भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार आर्मी डे परेड का आयोजन किसी सैन्य छावनी की सीमाओं से बाहर किया जा रहा है और यह ऐतिहासिक अवसर राजस्थान की राजधानी जयपुर को मिलने जा रहा है। 15 जनवरी को जगतपुरा स्थित महल रोड पर आयोजित होने वाली आर्मी डे परेड में सेना का शौर्य, अनुशासन और आधुनिक सैन्य क्षमता आम जनता के सामने सजीव रूप में प्रस्तुत होगी। इस भव्य आयोजन को देखने के लिए आम नागरिकों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे हजारों लोग देश की सेना की ताकत और परंपरा को करीब से देख सकेंगे। राज्य सरकार और सेना के समन्वय से पहली बार यह फैसला लिया गया है कि आर्मी डे परेड को मिलिट्री कैंपस के बाहर आम शहरी क्षेत्र में आयोजित किया जाए, ताकि सेना और नागरिकों के बीच जुड़ाव और मजबूत हो सके। इसके तहत न केवल मुख्य परेड बल्कि उससे पहले होने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल भी जनता के लिए खोली गई हैं। 9, 11 और 13 जनवरी को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक होने वाली रिहर्सल में भी

लोग सेना की तैयारियों और अभ्यास को देख सकेंगे, जबकि मुख्य आर्मी डे परेड 15 जनवरी को आयोजित होगी। परेड और रिहर्सल देखने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए राजस्थान सरकार के पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद सिटीजन ऐप लिंक के जरिए आर्मी डे परेड रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक कर केवल दो आवश्यक कॉलम भरकर पंजीकरण पूरा किया जा सकता है। एक व्यक्ति अधिकतम दो लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। यह सुविधा 6 जनवरी की शाम से 14 जनवरी तक उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा, जिन लोगों के पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है, उनके लिए ई-मित्र केंद्रों पर भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है।

रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आवेदकों को उनके मोबाइल फोन पर एक संदेश प्राप्त होगा, जिसमें कार्यक्रम से जुड़े जरूरी निर्देश, रिपोर्टिंग टाइम, रूट मैप और पार्किंग से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। दर्शकों को सुबह 8 बजकर 45 मिनट तक परेड स्थल पर पहुंचना अनिवार्य होगा और एक बार प्रवेश करने के बाद परेड समाप्त होने से पहले किसी को भी स्थान छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सेना और प्रशासन ने लोगों से अनुशासन बनाए रखने और निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

आर्मी डे समारोह से पहले 8 जनवरी को जयपुर के भवानी निकेतन संस्थान में 'अपनी सेना को जानें' कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 2 बजे शुरू होने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के आधुनिक हथियारों, सैन्य उपकरणों और तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही लाइव डेमो के जरिए यह भी दिखाया जाएगा कि सेना किस तरह अत्याधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण के दम पर देश की सुरक्षा करती है। यह कार्यक्रम खास तौर पर युवाओं और छात्रों को सेना के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से रखा गया है। सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। परेड स्थल पर प्रवेश से पहले सभी आगंतुकों की सघन सुरक्षा जांच की जाएगी। सुरक्षा कारणों से ड्रोन, कैमरे, महिलाओं के पर्स, बैग, ज्वलनशील पदार्थ, पाउडर, किसी भी तरह की नुकीली वस्तु या आपत्तिजनक सामग्री ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सेना और राज्य प्रशासन का अनुमान है कि हर रिहर्सल और मुख्य परेड के दौरान लगभग डेढ़ लाख लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंच सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आम जनता की भागीदारी इस आयोजन को केवल सैन्य कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप देती है। पहली बार जयपुर की सड़कों पर सेना की टुकड़ियों की मार्चिंग, सैन्य बैंड, आधुनिक हथियारों की झलक और अनुशासन का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा।

आर्मी डे परेड को छावनी से बाहर आयोजित करने का यह फैसला भारतीय सेना की बदलती सोच और नागरिकों के साथ सीधे संवाद की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जयपुर के लिए यह आयोजन न केवल गौरव का विषय है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए सेना के प्रति सम्मान, विश्वास और प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा। 15 जनवरी को जब महल रोड पर सेना का पराक्रम और अनुशासन गूंजेगा, तब यह दृश्य केवल एक परेड नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता के प्रति अटूट संकल्प का प्रतीक होगा।

गुणवत्ता, भरोसे और आत्मनिर्भरता की पहचान बना बीआईएस, वैश्विक मानकों की ओर भारत की मजबूत छलांग : प्रल्हाद जोशी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस मार्क आज देश के कई सेक्टरों में गुणवत्ता और भरोसे का सबसे मजबूत प्रतीक बन चुका है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बीआईएस केवल एक नियामक संस्था नहीं है, बल्कि यह भारत की औद्योगिक, उपभोक्ता और तकनीकी यात्रा की एक सशक्त विरासत है, जिसने दशकों से देश को सुरक्षित, टिकाऊ और विश्वसनीय मानकों की दिशा में आगे बढ़ाया है। मंत्री ने यह बात नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में बीआईएस के 79वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य समारोह को संबोधित करते हुए कही।

प्रल्हाद जोशी ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी और वैश्वीकृत दौर में गुणवत्ता केवल एक तकनीकी आवश्यकता नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी और रणनीतिक ताकत बन चुकी है। उन्होंने कहा कि मजबूत मानक न सिर्फ उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि उद्योगों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने में भी मदद करते हैं। बीआईएस द्वारा तय किए गए मानक 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस', उपभोक्ता संरक्षण, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए आधार स्तंभ का काम कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीआईएस का योगदान केवल उत्पादों की गुणवत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश में भरोसे की संस्कृति को मजबूत करता है। जब कोई उपभोक्ता बीआईएस मार्क देखता है, तो उसके मन में सुरक्षा, टिकाऊपन और विश्वसनीयता का विश्वास स्वतः पैदा होता है। यही विश्वास भारतीय उत्पादों को घरेलू ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी स्वीकार्यता दिला रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत ऐसे दौर में खड़ा है, जहां 'मेड इन इंडिया' को 'ट्रस्टेड बाय इंडिया' और 'ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड' में बदलने का लक्ष्य तेजी से साकार हो रहा है और इसमें बीआईएस की भूमिका बेहद अहम है।

जोशी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट' के विजन को साकार करने में बीआईएस की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे मानक जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हों, संसाधनों का संतुलित उपयोग करें और उपभोक्ताओं को सुरक्षित उत्पाद उपलब्ध कराएं, वही भविष्य की अर्थव्यवस्था की नींव बनेंगे। बीआईएस इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानकों का निर्माण और उनके अनुपालन को सुनिश्चित कर रहा है।

उन्होंने कहा कि बीआईएस ने समय के साथ खुद को बदलते हुए पारंपरिक उद्योगों के साथ-साथ उभरते क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मानक तय किए हैं। इससे न केवल नवाचार को बढ़ावा मिला है, बल्कि उपभोक्ताओं का भरोसा भी मजबूत हुआ है। मंत्री ने बीआईएस के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और प्रतिबद्धता के कारण ही भारत आज वैश्विक मानक निर्धारण में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है।

कार्यक्रम में यह भी रेखांकित किया गया कि बीआईएस की 79 वर्षों की यात्रा भारत की बदलती अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और उपभोक्ता जागरूकता के साथ कदम से कदम मिलाकर चली है। आज जब भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है, तब गुणवत्ता और मानकों की भूमिका और भी निर्णायक हो जाती है। मंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में बीआईएस न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी गुणवत्ता और भरोसे का मानक बनेगा।

सोना वायदा में 309 रुपये और चांदी वायदा में 3811 रुपये की वृद्धि: क्रूड ऑयल वायदा में 17 रुपये का सुधार

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 129187.15 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 36349.14 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 92828.71 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का जनवरी वायदा 36098 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 1987.73 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 27783.62 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 138666 रुपये के भाव पर खूलकर, 138776 रुपये के दिन के उच्च और 138001 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 138120 रुपये के पिछले बंद के सामने 309 रुपये या 0.22 फीसदी की बढ़त के साथ 138429 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-गिनी जनवरी वायदा 119 रुपये या 0.11 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 113265 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल जनवरी वायदा 20 रुपये या 0.14 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 14163 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी फरवरी वायदा 138793 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 138793 रुपये और नीचे में 137911 रुपये पर पहुंचकर, 344 रुपये या 0.25 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 138400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन जनवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 138775 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 139400 रुपये और नीचे में 138775 रुपये पर पहुंचकर, 138619 रुपये के पिछले बंद के सामने 641 रुपये या 0.46 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 139260 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 250450 रुपये के भाव पर खूलकर, 251050 रुपये के दिन के उच्च और 246888 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 246155 रुपये के पिछले बंद के सामने 3811 रुपये या 1.55 फीसदी की मजबूती के साथ 249966 रुपये प्रति किलो बोला गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा

> ▶▶ कमोडिटी वायदाओं में 36349.14 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 92828.71 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 27783.62 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 36098 पॉइंट के स्तर पर

3604 रुपये या 1.45 फीसदी की तेजी के संग 251809 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 3671 रुपये या 1.48 फीसदी बढ़कर 251859 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

मेटल वर्ग में 6442.29 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा जनवरी वायदा 11.55 रुपये या 0.88 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 1324.85 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता जनवरी वायदा 3.85 रुपये या 1.24 फीसदी की तेजी के संग 314.6 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इसके सामने एल्यूमीनियम जनवरी वायदा 5.4 रुपये या 1.76 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 311.8 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा जनवरी वायदा 4.95 रुपये या 2.68 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 189.35 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 2293.44 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जनवरी वायदा 5256 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5304 रुपये और नीचे में 5230 रुपये पर पहुंचकर, 17 रुपये या 0.32 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 5287 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जनवरी वायदा 17 रुपये या 0.32 फीसदी की बढ़त के साथ 5287 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 313.7 रुपये के भाव पर खूलकर, 314.8 रुपये के दिन के उच्च और 309 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 315.2 रुपये के पिछले बंद के सामने 4.8 रुपये या 1.52 फीसदी लुढ़ककर 310.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जनवरी वायदा 5 रुपये या 1.59 फीसदी गिरकर 310.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल जनवरी वायदा 1007 रुपये पर खूलकर, 2.7 रुपये या 0.27 फीसदी औंधकर 1013 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 11827.96 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 15955.66 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 5336.28 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 523.14 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 112.21 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 456.53 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 570.23 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1701.85 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 2.81 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन कैंडी के वायदाओं में 0.78 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 19155 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 73795 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 28125 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 422084 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 46589 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 16299 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 39259 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 99736 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 20842 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 46099 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स जनवरी वायदा 35751 पॉइंट पर खूलकर, 36169 के उच्च और 35751 के नीचले स्तर को छूकर, 205 पॉइंट बढ़कर 36098 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जनवरी 5300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 7.2 रुपये की बढ़त के साथ 100.3 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.05 रुपये की गिरावट के साथ 21.25 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 144000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 22 रुपये की गिरावट के साथ 856.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 260000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 691.5 रुपये की बढ़त के साथ 10000 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 3.89 रुपये की गिरावट के साथ 63 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 73 पैसे की नरमी के साथ 6.55 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जनवरी 5200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 12.9 रुपये की गिरावट के साथ 63.7 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2 रुपये की बढ़त के साथ 20.25 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 130000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 5.5 रुपये की गिरावट के साथ 415 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 230000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1228 रुपये की गिरावट के साथ 5550 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 16.24 रुपये की गिरावट के साथ 37.02 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 295 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2.4 रुपये की बढ़त के साथ 3 रुपये हुआ।